

132

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.: 37/वि.प./अनु./ई सी आई/प्रकार्या./ईआरडी/ईआर/2016

दिनांक: 05 सितम्बर, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. तेलंगाना, हैदराबाद
3. बिहार, पटना
4. कर्नाटक, बेंगलुरु
5. उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6. महाराष्ट्र, मुम्बई

विषय: विधान परिषदों के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां तैयार करना - संशोधित अनुदेश - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007 से पहले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 के अधीन विधान परिषदों के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे से बनाया जा रहा था और प्रत्येक निर्वाचनों से तत्काल पहले तक भी विद्यमान निर्वाचक नामावलियों में पहले से नामित निर्वाचकों सहित सभी पात्र व्यक्तियों को नए सिरे से फॉर्म 18/फॉर्म 19, यथामामला, में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सुसंगत दस्तावेजों की प्रति के साथ आवेदन करना अपेक्षित होता था।

2. बॉम्बे उच्च न्यायालय [औरंगाबाद पीठ] के समक्ष एक रिट याचिका (सिविल) सं. 2007 की 6084 - श्री प्रफुल्ल जगन्नाथ हुर्ने बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य दाखिल की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.12.2007 के अपने आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि सुसंगत अधिनियम और नियम निर्वाचन आयोग को ऐसी कोई शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करते हैं कि वह स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले प्रत्येक निर्वाचन के समय नए सिरे से निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के आदेश दे। न्यायालय ने आगे निदेश दिए कि आयोग को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में पहले से पंजीकृत निर्वाचकों से पात्रता दस्तावेजों की प्रति नहीं मांगनी चाहिए।

3. आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका सिविल सं. 2008 की 8017 दाखिल की। उस समय, उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के संबंध में रोक लगाने से मना कर दिया था। उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित थी, अतः आयोग ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसरण हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए। ई सी आई के जारी दिशा-निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित

करते थे कि विद्यमान नामावलियों को ड्राफ्ट नामावलियों के रूप में प्रयोग किया जाएगा और केवल समावेशन, सुधार और विलोपन किए जाने ही अपेक्षित होंगे।

4. बाद में, विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर अन्य उच्च न्यायालयों ने भी आदेश दिए थे। न्यायालयों के निर्णय और साथ ही इस संबंध में अर्जित अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 27 मई, 2013 के अपने पत्र संख्या 37/वि.प./2013-ई आर एस द्वारा इस विषय पर व्यापक अनुदेश जारी किए थे।

5. अब, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2008 की उक्त विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 8017 का वर्ष 2016 की सिविल अपील सं 178 के रूप में निपटान करते हुए, अपना निर्णय 12 जनवरी, 2016 को देते हुए स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने संबंधी विधि को निर्धारित कर दिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह याचिका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2007 की रिट याचिका सं. 6084 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ द्वारा पारित दिनांक 20.12.2007 के आदेश और आक्षेपित अंतिम निर्णय के विरुद्ध की गई थी, जिसके द्वारा इसने अन्य बातों के साथ-साथ एक खंड को हटा दिया था।

दिनांक 01.10.2007 के सार्वजनिक नोटिस का [खंड 5 (घ)] जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए फॉर्मेट में नागपुर, पुणे और औरंगाबाद डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न निर्धारित सांविधिक फॉर्म 18 में सभी पात्र निर्वाचकों से नए आवेदन अर्हक तारीख के रूप में 01 नवम्बर, 2007 के संदर्भ में आमन्त्रित करने के लिए जारी किया गया था ताकि इन स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उनका नाम शामिल किया जा सके। नोटिस के पैरा-5 में कहा गया था कि आवेदक के संबंध में पूर्व नामावली में प्रविष्टि के संदर्भ मात्र पर निर्वाचक नामावलियों में नामांकन हेतु पात्रता के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाएगा और आवेदक को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रमाणपत्र या डिग्री मूल रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त खंड को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि इसका कोई विधिक प्राधिकार या स्वीकृति नहीं है। इसने यह अभिनिर्धारित किया कि सुसंगत अधिनियम और नियम निर्वाचन आयोग को ऐसी कोई शक्ति या अधिकार-क्षेत्र प्रदान नहीं करते जो स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले निर्वाचन में प्रत्येक बार नई निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने का आदेश दे सके। इसने आयोग को निदेश दिया कि विद्यमान नामावली को ड्राफ्ट नामावली के रूप में प्रकाशित कराकर इसे संशोधित किया जाना चाहिए और स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में पहले से पंजीकृत निर्वाचकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त प्रश्न पर विचार किया कि क्या स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संशोधन के मामले में प्रत्येक बार नई नामावली बनाई जानी चाहिए या विद्यमान नामावली को संशोधित करके दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद उसे प्रकाशित करना चाहिए। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और 22 के उपबंधों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 के विधायी आशय स्पष्ट हैं कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के संदर्भ में नियम 1960 के नियम 31 में सन्निहित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक बार यह नए सिरे से तैयार की जाएगी। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पात्र मतदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक छह वर्ष में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में निर्धारित फॉर्म 18 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में फॉर्म 19 में नया आवेदन जमा कराए और यह 1950 अधिनियम की धारा 22 द्वारा उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप है कि किसी भी पात्र मतदाता को बिना कोई अवसर दिए निर्वाचक नामावली से हटाया नहीं जाएगा। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने आक्षेपित नोटिस के खंड 5(घ) की वैधता को नियम 1960 के नियम 31 के उप नियम (4क) की अपेक्षाओं के अनुसरण में अभिनिर्धारित किया और इसके विपरीत कोई भी राय गलत होगी।

6 चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि में, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों हेतु प्रत्येक बार नए सिरे से निर्वाचक नामावलि तैयार करने पर विचार किया गया है, अतः आयोग ने उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त संदर्भित दिनांक 27 मई, 2013 के अपने पूर्व-अनुदेशों के अधिक्रमण में, नए व्यापक अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया है, जो कि निम्नलिखित अनुसार हैं:-

## 1 विधिक उपबंध-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (3) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी:-

- (1) यथाशक्य निकटतम कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;
- (2) यथाशक्य निकटतम कुल सदस्यों का बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों;
- (3) यथाशक्य निकटतम कुल सदस्यों का बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जिनका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं;
- (4) यथाशक्य निकटतम कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं;
- (5) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और इनमें वे व्यक्ति होंगे जिन्हें इन विषयों का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो- साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवाएं।

(ii) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विधान परिषदों के तीन प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र हैं जिन्हें परिषद निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है जिनके लिए निर्वाचक नामावलि तैयार की जाती हैं। ये निम्नलिखित हैं:

- I स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र;
- II स्नातक निर्वाचन क्षेत्र;
- III शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र;

(iii) विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन हेतु ऐसे विधान सभा सदस्यों की सूची को अद्यतित रखने की आवश्यकता होती है और उसे ही निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सूची में विधान सभा के नामित सदस्यों, यदि कोई हैं तो, के नाम शामिल होने चाहिए।

(iv) किसी विधान परिषद के परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए निर्वाचक नामावलियों हेतु सुसंगत विधिक उपबंधों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 30 और 31 में उपबंधित किया गया है।

### 1.1 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र -

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(2) के अनुसार, निर्वाचक मंडल में ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्य शामिल होंगे और उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के अंदर किसी भी स्थान या क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे जैसा कि उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।

1.1.1 धारा 27(2) का खंड (ख) उपबंधित करता है कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

1.1.2 धारा 27(2) का खंड (घ) उपबंधित करता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को धारा 27(2) के खंड (ग) के अधीन अद्यतित संशोधित निर्वाचक नामावली के रख-रखाव में सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ऐसा अधिकारी चाहे किसी भी पदनाम से जाना जाए) उस स्थानीय प्राधिकारी की सदस्यता में प्रत्येक परिवर्तन के बारे में तत्काल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली से उन व्यक्तियों के नामों को काट देगा जो अब नहीं हैं और उसमें उन लोगों के नाम शामिल करेगा जो उस स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बन गए हैं।

1.1.3 धारा 27(2) का खंड (ङ) उपबंधित करता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15, 16, 18, 22, और 23 के उपबंध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं।

1.1.4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 30(1) उपबंधित करता है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसे रूप में, ऐसी विधि में और ऐसी भाषा में जैसा निर्वाचन आयोग निदेश दे, नामावली तैयार की जाएगी और उसका रख-रखाव किया जाएगा।

1.1.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 20 (उप नियम (3) और (4) को छोड़कर) और नियम 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं बशर्ते स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में नाम शामिल करने के लिए आवेदन फॉर्म 6 के बजाय फॉर्म 17 में दिया जाएगा।

### 1.2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-

अर्हता/पात्रता- स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण के लिए व्यक्ति की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 171(3) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(3) (क), 27 (5) (क) और 27 (6) के उपबंधों के संबंध में निर्धारित की जाएगी। तदनुसार, कोई व्यक्ति जो अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले से भारत के किसी प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या यथानिर्धारित समतुल्य अर्हता रखता है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 (5) क के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए:-

- 1.2.1 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवासी होना चाहिए।
- 1.2.2 अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन, निर्वाचन आयोग की सहमति से, संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अर्हता जो कि भारत के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य मानी जाती है, को धारित करता हो।
- 1.2.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(6) यह विनिर्दिष्ट करती है कि अर्हक तारीख उस वर्ष की पहली नवंबर होगी जिस वर्ष निर्वाचक नामावली की तैयारी या उसका पुनरीक्षण प्रारम्भ किया जाता है।
- 1.2.4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15, 16, 18, 21, 22 और 23 के उपबंध स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार ये धारा 27 (4) द्वारा यथाअधिदेशित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं।
- 1.2.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 31(1) उपबंधित करता है कि प्रत्येक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे रूप में, ऐसी विधि से और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे।
- 1.2.6 निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(5) नियम 10 से 27 तक के प्रावधान, सिवाय उपनियम 1 के खण्ड (ग) और नियम 13 के उपनियम (2) के खण्ड ग के उपबंध, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन फॉर्म 18 में किए जाएंगे।

### 1.3 शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र -

पात्रता/अर्हता- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 (5) (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:-

- 1.3.1 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए।
- 1.3.2 अर्हक तिथि से तत्काल पहले छह वर्षों के भीतर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप धारा(3) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से संबंधित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में शिक्षण कार्य में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए।
- 1.3.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 27 यह विनिर्दिष्ट करती है कि अर्हक तारीख उस वर्ष जिस वर्ष निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हुई है, की पहली नवंबर होगी।
- 1.3.4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 15, 16, 18, 21, 22 और 23 के प्रावधान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में उसी तरह से लागू होंगे जैसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।

137

1.3.5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31(1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, तरीके और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जैसाकि निर्वाचन आयोग निदेश दे।

1.3.6. नियम 31(5) के अंतर्गत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 13 के उप नियम (1) के खंड (ग) और उप नियम (2) के खंड (ग) के सिवाय नियम 10 से 27 के प्रावधान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में शामिल किए जाने हेतु दावा आवेदन फार्म 19 में किया जाएगा।

## 2. निर्वाचक नामावली/नामांकन की तैयारी के लिए प्रक्रिया-

### 2.1. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए:-

2.1.1. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में कोई अर्हक तारीख नहीं है।

2.1.2. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को संशोधित नहीं किया जाता है। परंतु संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल सूची में इस प्रकार के सुधार करते हुए जैसे संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उसके ध्यान में लाए जाते हैं, उन्हें अद्यतन रखा जाता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, सुधार की गयी निर्वाचक नामावलियों को अद्यतित रखने में सहायता करने के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ऐसा अधिकारी चाहे किसी भी पदनाम से जाना जाता हो) स्थानीय प्राधिकरण की सदस्यता में हुए प्रत्येक परिवर्तन के तुरंत बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर निर्वाचक नामावली में से उन व्यक्तियों के नाम काट देगा जो अब नहीं रहे और उसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करेगा जो अब स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य बन चुके हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 जुलाई और 15 अक्टूबर को, तीन महीने में एक बार, इए आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए कि उनके द्वारा सभी सुधारों की विधिवत सूचना दे दी गयी है। प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुबंध - 1 में दिया गया है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन में एक निर्वाचक होने के लिए साधारण निवासी होना एक शर्त नहीं है।

2.1.2. स्थानीय प्राधिकरणों के पदेन और नामित सदस्य, यदि कोई हैं, निर्वाचित सदस्यों के साथ निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने के पात्र हैं। किसी एक स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों के मामले में, जिनमें से कुछ अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के पदेन सदस्य होते हैं, के मामले में, उनके नाम वहां केवल एक ही बार आने चाहिए, जहां वे सदस्य हैं।

*स्पष्टीकरण:- तथापि, पदेन और नामित सदस्यों को निर्वाचक नामावलियों में नामांकित होने और निर्वाचनों में मत देने की सुविधा दी गई है, जो संबंधित राज्य में उक्त स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित राज्य नियमों में दी गई शर्तों के अधीन होगी।*

2.1.3 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 30 के अनुसार कोई व्यक्ति स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए फार्म 17 में आवेदन कर सकता है। जब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसा आवेदन प्राप्त किया जाता है तो वह आवेदन स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा

129

और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार कार्रवाई करेगा।

2.1.4. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचन से पहले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, इस उद्देश्य के लिए न्यूनतम सात दिन का समय देते हुए, तुरंत दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए निर्वाचक नामावलियां अपने कार्यालय और साथ ही उक्त स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में शामिल स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालयों में प्रकाशित की जाएंगी। नियत समय के भीतर प्राप्त कोई दावे (फार्म 17 में) और आपत्तियां (फार्म 7 में) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजने के पश्चात तीन दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। उक्त स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रविष्टियों को शामिल करने/हटाने/सुधारने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगा। नामावलियों में प्रत्येक परवर्ती सुधार, चाहे वे संवर्धन/विलोपन/संशोधन द्वारा किए गए हों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। तीन दिन के भीतर स्वीकृत किए गए दावों और आपत्तियों को समाविष्ट करने के पश्चात और किसी भी स्थिति में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि से पहले, नामावलियां फिर से प्रकाशित की जाएंगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 (3) के प्रावधान इस मामले में भी लागू होंगे, अर्थात् निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख को 3 बजे के बाद कोई संवर्धन/विलोपन/संशोधन नहीं किया जाएगा।

## 2.2 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए-

2.2.1. प्रत्येक द्विवर्षीय निर्वाचन या किसी वर्ष में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए प्रत्येक उप-निर्वाचन से पहले अर्हक तारीख के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियां निर्धारित तरीके से नई बनाई जाएंगी। आगे, बशर्ते कि यदि निर्वाचक नामावलियां नई तैयार नहीं की जाती हैं तो यथापूर्ववत्, मौजूदा निर्वाचक नामावलियों की वैधता या सतत प्रचालन किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। इसकी अर्हक तारीख उस वर्ष जिसमें नामावलियों का निर्माण और पुनरीक्षण आरंभ किया जाता है, के नवम्बर माह की पहली तारीख होगी।

2.2.2. निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले प्रत्येक द्विवार्षिक/उप निर्वाचन से पहले नए सिरे से तैयारी की जानी चाहिए।

2.2.3. तदनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, नामांकन के नोटिस के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले उस वर्ष जिसमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली तैयार करने का काम नए सिरे से किया जाता है, की पहली अक्टूबर को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निर्माण के लिए प्रारूप सूची अग्रिम रूप में तैयार करनी चाहिए और उसे आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए।

2.2.4. जैसाकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की अर्हक तारीख, उस वर्ष, जिसमें नामावलियों का निर्माण या पुनरीक्षण शुरू किया जाता है, नवंबर महीने का प्रथम दिवस होती है (कृपया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 (6) का संदर्भ लें)।

2.2.5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31 के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पहली अक्टूबर को या उससे पहले एक सार्वजनिक नोटिस (अनुबंध क या ख में, जैसी भी स्थिति हो) जारी करेगा जिसमें उस नामावली में रजिस्टर होने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति से आने वाले सात नवम्बर से पहले, उसके कार्यालय में फार्म 18 या फार्म 19 में, जैसे भी स्थिति हो, अपने नाम शामिल करने के लिए आवेदन भेजने या सुपुर्द करने के लिए कहा जाएगा। उक्त नोटिस उन दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जिनका उस निर्वाचन क्षेत्र में सर्कुलेशन हो और जिनमें अनुबंध क-1 या ख-1, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार संक्षिप्त प्रारूप में एक बार 15 अक्टूबर को या इसके आस पास और दोबारा 25 अक्टूबर को या इसके आस पास, पुनः प्रकाशन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह संक्षिप्त नोटिस एक अलग बाक्स कालम में आकर्षित और प्रमुख रूप से, अधिमानतः भीतर की तरफ रंग किए गए बाक्स में प्रकाशित किया जाए ताकि पाठकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो सके। इसके अतिरिक्त जनता एवं अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक सूचना को कुछ विनिर्दिष्ट स्थानों पर लगाया जाना चाहिए। नोटिस की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों को परिचालित की जानी चाहिए। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के ई आर ओ को, इस मामले में, उन सभी शैक्षिक संस्थानों को सहयोग के लिए पत्र भेजना चाहिए जिनके शिक्षक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के ई आर ओ द्वारा भी इस मामले में पूरे सहयोग का अनुरोध करते हुए इसी प्रकार के पत्र निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सभी शैक्षिक संस्थानों, अधिकारियों की एसोसिएशनों, बैंकों, कंपनियों, क्लबों आदि को भेजने चाहिए। समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति आयोग को भी अग्रेषित की जानी चाहिए।

2.2.6 पात्र व्यक्तियों को सहायक दस्तावेज, जो आयोग की वेबसाइट <http://eci.nic.in/ecimain/form/form18E.pdf> और <http://eci.nic.in/ecimain/form/form19E.pdf> पर उपलब्ध हैं, के साथ निर्धारित फार्मों (फार्म 18 स्नातकों के लिए और फार्म 19 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए) में अपने नामों के नामांकन के लिए आवेदन करना चाहिए।

2.2.7. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां आवेदन फार्म संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, उन्हें ई आर ओ द्वारा उन संस्थानों के प्रमुखों से सत्यापित करवाए जाने चाहिए।

2.2.8. नामों को शामिल करने के लिए फार्म 18 (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए) और फार्म 19 (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए) को पृष्ठ के केवल एक तरफ मुद्रित किया जाना चाहिए और उसमें से मुद्रित पावती रसीद को अलग किया जाना चाहिए और संस्थान प्रमुखों के माध्यम से या सीधे, जैसी भी स्थिति हो, सभी आवेदकों को दे दी जानी चाहिए।

#### 2.2.9. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र -

2.2.10. संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का नए सिरे से निर्माण करने से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आयोग की सहमति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(3) के अंतर्गत योग्यताओं, जिन्हें भारत के किसी क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के समकक्ष समझा जाएगा, का विनिर्देशन देते हुए, राज्य सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं की प्रति प्राप्त करनी चाहिए। उसके पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐसी विनिर्दिष्ट योग्यताओं की एक अद्यतन सूची तैयार करनी चाहिए और सूची की एक प्रतिलिपि प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजनी चाहिए। इसे



सभी पणधारियों की सूचना के लिए सीईओ के पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। जनता की सूचना हेतु विनिर्दिष्ट योग्यताओं की सूची का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

- 2.2.11 जैसाकि किसी व्यक्ति को, आवेदक की साधारण निवासी अवस्था के सत्यापन के अतिरिक्त, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए फार्म 18 में आवेदन करना होता है, इसलिए यह सत्यापित करना भी जरूरी है कि आवेदक अर्हक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं रखता हो,

*स्पष्टीकरण: तीन वर्ष की अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण से पहले स्नातक होना चाहिए, की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसमें अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय या संबंधित प्राधिकारी द्वारा घोषित और प्रकाशित किया गया था न कि दीक्षान्त समारोह की तारीख से।*

आवेदक को ऐसी शैक्षिक योग्यता रखने का दस्तावेजी प्रमाण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत करना होगा। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दस्तावेजी प्रमाण का ऐसा सत्यापन करना चाहिए जो वह आवश्यक समझे। राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित अपेक्षित शैक्षिक योग्यता की डिग्री या मार्कशीट उस शैक्षिक योग्यता को रखने का पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण समझा जाना चाहिए।

- 2.2.12 पात्र व्यक्तियों को अपने नामों के नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ निम्नधारित फार्म 18 में आवेदन करना चाहिए:-

- क) संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र मूल रूप में या इसकी एक प्रति जिसे संबंधित जिले के पदनामित अधिकारी/अपर पदनामित अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ विधिवत रूप से सत्यापित करने के पश्चात अनुप्रमाणित किया गया हो; या
- ख) किसी कार्यालय/संस्थान के राजपत्रित प्रमुख द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखे हुए सरकारी रिकार्ड में की गई प्रविष्टियों के आधार पर किसी स्नातक को जारी की गयी सरकारी रिकार्ड की प्रविष्टि या प्रमाण पत्र की एक प्रति या सांविधिक निकायों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों के रिकार्ड में की गई प्रविष्टि की एक प्रति जिसमें दावेदार द्वारा अधिकृत डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र का विनिर्देशन दिया गया हो और जिसे संबंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित किया गया हो; या
- ग) विश्वविद्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक अनुप्रमाणित प्रति, रजिस्ट्रीकृत स्नातक की सूची में संगत प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति, अधिवक्ताओं की नामावली, मेडिकल प्रैक्टिसनर का रजिस्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का रजिस्टर, इंजीनियर्स संस्थान द्वारा अनुरक्षित इंजीनियर्स का रजिस्टर आदि; या
- घ) दावेदार द्वारा एक शपथ पत्र जिसे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज के प्रिंसिपल या ऐसे कालेज के विभागाध्यक्ष जिसके अंतर्गत उसने अध्ययन किया हो, से एक प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो, या

124

उ) विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा जारी की गयी मार्कशीट की मूल प्रति जिसका संबंधित जिले के पदनामित अधिकारी/अपर पदनामित अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा मूल मार्कशीट के साथ उचित सत्यापन के बाद अनुप्रमाणन किया गया हो, बशर्ते कि यह स्पष्ट निर्देश हो कि दावेदार ने संबद्ध परीक्षा उत्तीर्ण की है।

2.2.13 आवेदन डाक द्वारा भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदनामित अधिकारी को भेजे जा सकते हैं। इन आवेदनों के साथ आवेदक की डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र/मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज की प्रति संलग्न होनी चाहिए जिसे पदनामित अधिकारी/अपर पदनामित अधिकारी/सम्बन्धित जिले के राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज से विधिवत रूप से मिलान करके सत्यापित किया गया हो, संलग्न होनी चाहिए।

2.2.14 यदि आवेदक अपने आवेदन को व्यक्तिगत तौर से, इस प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से नियुक्त ईआरओ/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या पदनामित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह उसके समक्ष मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट प्रस्तुत करेगा। अधिकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट या अपेक्षित दस्तावेज की जांच करेगा और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात "मूल से सत्यापित किया और सही पाया गया" या "मूल से सत्यापित किया गया और सही नहीं पाया गया - निरस्त किया गया" लिखेगा। वह संक्षिप्त जांच के चिह्न के रूप में आवेदन पर अपने हस्ताक्षर, पूरा नाम और पिन संख्या (पदनामित अधिकारी के मामले में) लिखेगा और आवेदन को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रेषित करेगा, जहां इसे ईआरओ/पदनामित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

2.2.15 जिस किसी आवेदन पर उपर्युक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपूर्ण कहते हुए निरस्त कर दिया जाएगा।

2.2.16 जैसाकि द्विवार्षिक/उप निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां नई तैयार की जानी होती हैं, इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके नाम मौजूदा नामावलियों में शामिल किए गए हैं, को भी निर्धारित प्ररूप में नए आवेदन जमा करवाना चाहिए।

2.2.17 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्ररूप 18 में प्रत्येक आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाणपत्र साथ में लगे होंगे। यह भी नोट किया जाए कि निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण करने के लिए मौजूदा निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि का संदर्भ मात्र संज्ञान में कदापि नहीं लिया जाएगा।

2.2.18 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 (4) स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के प्रयोजनार्थ लागू नहीं होती है। इसलिए, फार्म 1 में घोषणा द्वारा जन्म स्थान में घोषित पदधारकों के नामांकन की सुविधा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में उपलब्ध नहीं है। वे, यदि पात्र हैं तो अपने नामों का नामांकन उस स्थान पर करवा सकते हैं जहां के वे उस समय के लिए साधारण तौर पर निवासी हैं।

2.2.19 व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गए आवेदन पत्रों को शामिल करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण -** तथापि, संस्थानों के प्रमुख अपने सभी पात्र कर्मचारियों के आवेदन एक साथ अग्रेषित कर सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने परिवार के अन्य पात्र सदस्यों जो एक ही पते पर रह रहे हों, के संबंध में फार्म 18 प्रस्तुत कर सकता है और प्रत्येक ऐसे सदस्य के संबंध में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रमाण पत्र को सत्यापित करवा सकता है। किसी राजनीतिक दल, बूथ लेवल एजेंट या आवासी कल्याण एसोसिएशन द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 2.3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र -

- 2.3.1. किसी वर्ष, जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन होने वाले हों, में निर्वाचक नामावली की नए सिरे से तैयारी से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, आयोग की सहमति से राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थानों, जो माध्यमिक स्कूल के स्तर से कम के न हों, को विनिर्दिष्ट करने के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 27 (3) (ख) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं की प्रति प्राप्त करनी चाहिए। उसके पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक संस्थानों की एक अद्यतन सूची तैयार करनी चाहिए और सूची की एक प्रति प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजनी चाहिए। सार्वजनिक सूचना के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक संस्थानों की सूची का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।
- 2.3.2. चूंकि स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियाँ किसी द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार नए सिरे से तैयार की जानी होती हैं, अतः, उन सभी व्यक्तियों को, जिनके नाम वर्तमान नामावलियों में शामिल हैं, भी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में नया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.3.3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा विहित प्रपत्र 19 में दिए गए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र संलग्न करने होंगे। यह नोट किया जाए कि विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का कोई सन्दर्भ मात्र, निर्वाचक नामावलियों में पंजीयन हेतु किसी व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करने के लिए संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
- 2.3.4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन हेतु यह अपेक्षित है कि निर्वाचक, अर्हता तिथि से ठीक पहले छः वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापन-कार्य से जुड़े रहे हों।

**स्पष्टीकरण -** (1) विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में अध्यापन में किसी व्यक्ति का पूर्ववर्ती छः वर्षों के भीतर कम से कम तीन वर्ष के लिए परिनियोजन या तो एक सतत अवधि में या विच्छिन्न अवधियों में हो सकता है और यह भी कि परिनियोजन एक संस्था या एक से अधिक संस्थाओं में हो सकता है, किन्तु ऐसी सभी संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। अतः इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति, जो एक या अधिक विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्थाओं में तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए शिक्षण-कार्य से इस तरह जुड़ा रहा हो, वह इन संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियमित आधार या तदर्थ आधार पर नियोजित रहा हो लेकिन उसे संपूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए (भले ही, वहां संस्वीकृत पद न हो) तथा अंशकालिक आधार पर परिनियोजित नहीं हो क्योंकि शिक्षण में तीन वर्ष के परिनियोजन की शर्त एक अंशकालिक शिक्षक द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। अंशकालिक शिक्षक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों में पंजीयन के पात्र नहीं हैं।

(2) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) के वर्ष 2008 की रिट याचिका सं. 1209 (एम/बी) में दिनांक 5 मार्च, 2008 (माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के आदेश के आलोक में सहायता न प्राप्त निजी विद्यालयों (यदि उसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं की सूची द्वारा कवर किया गया हो) के ऐसे शिक्षकों के नाम भी निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाएंगे जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची (अर्थात् निर्वाचक नामावली) में अपना नाम नामांकित कराने के इच्छुक हैं और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्पर्क करते हैं बशर्ते विद्यालयों के जिला निरीक्षकों से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लिया गया हो/प्रति हस्ताक्षरित कराया गया हो कि वे सेवा की अपेक्षित कालावधि पूरी करते हैं और विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था में वास्तविक शिक्षक/शिक्षिका हैं और जिस विद्यालय का स्तर माध्यमिक विद्यालय के स्तर से कम नहीं है।

2.3.5 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन (प्ररूप 19) के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि वह अर्हता तिथि से ठीक पहले के छः वर्षों के भीतर कम से कम तीन वर्षों की कुल अवधि के लिए किसी विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था में अध्यापन के लिए परिनियोजित रहा है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दस्तावेजी साक्ष्य का उस रूप में सत्यापन करना चाहिए जैसा वे आवश्यक समझें। शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को अपेक्षित शिक्षण अर्हता होने के लिए सामान्यतः पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य माना जाना चाहिए। संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र अनुबंध-2 पर दिए गए प्ररूप में होगा।

स्पष्टीकरण:- यदि कोई व्यक्ति, जिसने शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है, पिछले छः वर्षों में एक से अधिक विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा हो तो उसे ऐसी प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख से उस अवधि का प्रमाण पत्र लेना अपेक्षित होगा जिस अवधि के लिए वह उस शैक्षणिक संस्था में शिक्षण-कार्य के लिए परिनियोजित था।

2.3.6 राज्य सरकार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं की सूची जैसे ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होती है, उन्हें इन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन हेतु सभी पात्र व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। उन्हें यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या उसके द्वारा तैयार की जा रही मसौदा निर्वाचक नामावलियों में, ऐसे सभी पात्र व्यक्ति नामांकित है अथवा नहीं। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पाता है कि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उसे उस संबंधित व्यक्ति को यह अनुरोध करते हुए एक खाली प्रपत्र 19 भेजना चाहिए कि वे आवेदन-पत्र को भरकर उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, उस संस्था के प्रमुख के माध्यम से भेजें, जिसमें आवेदक कार्य कर रहा है।

2.3.7 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20(4) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों पर लागू नहीं होती। इसलिए, घोषित पदधारकों की, प्ररूप 1 में घोषणा के द्वारा मूल स्थान में पंजीयन की सुविधा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में उपलब्ध नहीं है। यदि वे पात्र हों तो अपना नाम उस स्थान पर नामांकित करा सकते हैं जहां वे उस समय सामान्यतः रह रहे हों।

स्पष्टीकरण:- यह आवश्यक नहीं है कि वह शैक्षणिक संस्था भी उसी शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में आती हो जिसमें पात्र निर्वाचक नियुक्त है। किसी विशिष्ट शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित की जाने वाली

पात्रता का निर्धारण आवेदक के सामान्य निवास के आधार पर किया जाना चाहिए न कि उसके कार्य स्थल के आधार पर।

- 2.3.8 थोक में आवेदन पत्रों, चाहे स्वयं या डाक द्वारा जमा कराए जाएं, को शामिल कराने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख अपने सभी पात्र कर्मियों के आवेदन-पत्र एक साथ भेज सकते हैं। इसी प्रकार, कोई व्यक्ति एक समान पते पर रहने वाले अपने परिवार के पात्र अन्य सदस्यों के बारे में प्ररूप 19 भी प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे प्रत्येक सदस्य के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करवा सकता है। राजनैतिक दलों, बूथ लेवल अभिकर्ताओं अथवा आवासीय कल्याण संघों द्वारा थोक में प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 3. एपिक नम्बरों के संग्रहण हेतु विशेष दिशा-निर्देश

- 3.1 चूंकि, स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलिyaं प्ररूप 18/प्ररूप 19 में नए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात, प्रत्येक द्विवार्षिक/उप-निर्वाचन से पहले नए सिरे से तैयार की जानी होती हैं और उसके बाद निस्तारित की जानी और तदनुरूप एक प्रारूप नामावली प्रकाशित की जानी होती है इसलिए, नए सिरे से तैयार की गई प्रारूप निर्वाचक नामावली में वर्तमान निर्वाचक नामावली का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए।
- 3.2 आयोग ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटो निर्वाचक नामावलिyaं तैयार करने का निर्णय लिया था। अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकित सभी निर्वाचकों के फोटो प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी करना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, निर्वाचकों के एपिक नम्बर, जिन्होंने प्रपत्र में फोटो नहीं लगाए हैं, बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से उन्हें एकत्रित किया जाना चाहिए। चूंकि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एपिक कवरेज बहुत अधिक है, अतः स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकित सभी व्यक्तियों के एपिक नम्बर प्राप्त करने कठिन नहीं होनी चाहिए। यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियों की प्रविष्टियाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों से संबद्ध कर दी जानी चाहिए तथा परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटो निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के लिए इन्हें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के साथ मिला दिया जाना चाहिए। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों में नामांकित निर्वाचकों के लिए एक अलग एपिक जारी करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें पहले से ही दिए गए एपिक नम्बरों की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

### 4. परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीयन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 की अनुप्रयोज्यता-

परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन के संबंध में भी धारा 17 और 18 के उपबन्ध लागू होंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी एक निर्वाचन-क्षेत्र अथवा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक-समान श्रेणी में मतदाता के रूप में, एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

किन्तु, किसी व्यक्ति, यदि वह विधिवत रूप से पात्र है, को स्नातक, शिक्षक और स्थानीय प्राधिकारी जैसी विभिन्न श्रेणी/वर्गों के निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक स्नातक शिक्षक अपेक्षित अर्हता होने से स्नातक और शिक्षक दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

*स्पष्टीकरण: हालांकि, एक स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों के मामले में, जिनमें से कुछ अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के पदेन सदस्य हो सकते हैं, उनके नाम केवल एक बार वहीं प्रकाशित/दर्शाए जाने चाहिए जहां वे सदस्य हैं।*

#### 5. परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का फार्मेट

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 30(1) और 31(1) के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां इस रीति, ढंग और भाषा या भाषाओं में तैयार की और बनाए रखी जाएंगी जैसा निर्वाचन आयोग निदेश दे। आयोग ने निदेश दिया है कि :-

#### नामावली का फार्मेट

- स्थानीय प्राधिकारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों हेतु निर्वाचक नामावलियां, फोटो निर्वाचक नामावलियां (पीईआर) होंगी।
  - स्थानीय प्राधिकारी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां को निर्वाचकीय भाग-वार रखा जाएगा। एक निर्वाचकीय भाग में 800 से 1400 निर्वाचक होंगे। सामान्यतः, प्रत्येक निर्वाचकीय भाग में एक मतदान केन्द्र होगा।
  - भाग को आगे खण्डों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक खण्ड में आमतौर पर 70 से 100 निर्वाचक होंगे।
  - स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां स्थानीय प्राधिकारी-वार तैयार की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक खंड एक स्थानीय प्राधिकारी को कवर करेगा। प्रत्येक खण्ड को विभिन्न पृष्ठों पर मुद्रित करना चाहिए, जो उस भाग में शामिल स्थानीय प्राधिकरणों के विभिन्न प्रकारों पर निर्भर करेगा जिसके सदस्य विधान परिषदों के निर्वाचनों में भाग लेते हैं।
  - प्रत्येक खण्ड में नाम वर्णक्रमानुसार होने चाहिए। प्रत्येक खण्ड में स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों के नामों को संपूर्ण खण्ड के लिए निरंतर क्रम में क्रम संख्या दी जानी चाहिए। यह संख्या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित पृष्ठ के शीर्ष पर स्थानीय प्राधिकरण के नाम सहित प्रविष्टि की जानी चाहिए।
  - स्थानीय प्राधिकारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को क्रमशः अनुबंध - 3.4 और 5 में दिए गए फार्मेटों में मुद्रित किया जाएगा।
  - आयोग अपने पत्र सं. 37/2013/ईआरएस दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के द्वारा पहले ही निदेश जारी कर चुका है जिनमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के फार्मेट विहित किए गए हैं (अनुबंध-8 में दिया गया है)।
- नोट: यह देखा जा सकता है कि निर्वाचक नामावलियों के फार्मेट में विषय-क्षेत्र जैसे निर्वाचक की क्रम संख्या, संबंधी का नाम, जन्म-तिथि, फोटो, एपिक संख्या, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं नाम तथा राज्य का नाम दिया गया है। इस अतिरिक्त विषय-क्षेत्रों की सूचना प्राप्त करने के लिए प्ररूप

17, 18 और 19 में संशोधन करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

119

#### 7.1.2 नामावली की भाषा :-

परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को निम्नलिखित भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा :

- |                            |   |                    |
|----------------------------|---|--------------------|
| • आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | - | तेलुगु और अंग्रेजी |
| • बिहार और उत्तर प्रदेश    | - | हिन्दी और अंग्रेजी |
| • कर्नाटक                  | - | कन्नड़ और अंग्रेजी |
| • महाराष्ट्र               | - | मराठी और अंग्रेजी  |

आयोग के दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के पत्र सं. 37/2013/ईआरएस के द्वारा आवश्यक निदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। (अनुबंध-9 देखें)

नोट: विभिन्न भाषाओं में नामों को परिवर्तित करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए, निर्वाचक डाटा बेस के लिए यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जाना चाहिए।

#### 8. परिषदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उनमें संशोधन करने के लिए निर्वाचन तंत्र-

**8.1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-** प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र हेतु एक पृथक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। सामान्य रूप में डिवीजन आयुक्तों/उपायुक्तों को स्नातक और शिक्षक-निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिनका रैंक अपर जिला मजिस्ट्रेट से कमतर नहीं होगा।

**8.2 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी -** प्रत्येक स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उतने ही सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे जितनी संख्या में आवश्यकता होगी। संबंधित स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाएगा। तहसील/तालुका स्तर पर कम से कम एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के तहसीलदार से कम रैंक का अधिकारी नहीं होगा। सामान्यतः, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को किन्हीं स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों में नियुक्त नहीं किया जाता है।

**8.3 पदनामित अधिकारी -** निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पदनामित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पदनामित अधिकारी दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी कार्य-

दिवसों में कार्यालय समय के दौरान, मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों का सत्यापन करने और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए भी पदनामित अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं। पदनामित अधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा के भीतर डिप्टी क्लेक्टर/उप मंडल अधिकारी/ राजस्व अधिकारी के रैंक के होंगे। पदनामित अधिकारी को एक पिन संख्या दी जाएगी और इसका उल्लेख निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ समस्त पत्र-व्यवहार करने में और इसके साथ ही उनके द्वारा उन आवेदन-पत्रों की प्रतियों पर भी किया जाएगा जिनका उन्होंने सत्यापन किया है। पदनामित अधिकारियों के कार्यालय, जहां इन्हें तैनात किया जाएगा, सहित उनका नाम और वे दिन जब वे व्यक्तिगत रूप से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए वहां उपस्थित होंगे, उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा उक्त नोटिस की प्रथम अनुसूची में निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31 (3) के अन्तर्गत जारी नोटिस के भाग के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। सभी पदनामित अधिकारी, नियम 31(3) के तहत सार्वजनिक सूचना जारी करने के समय से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक बिना चूके, कार्य करेंगे। पदनामित अधिकारी दावों और आपत्तियों के निपटान की अवधि के दौरान एक निर्वाचक के सामान्य निवास की स्थिति की पर्यवेक्षी जांच करेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदकों की संस्थाओं/घरों/परिवारों के प्रमुखों, यथास्थिति, के कार्यालयों का मुआयना करते हुए आगे पर्यवेक्षी जांच करेंगे। ये पर्यवेक्षी जांच संबंधित फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापनों के क्रमशः 12%, 8%, और 4% से कम नहीं होगी।

8.4. अतिरिक्त पदनामित अधिकारी: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचकों के दस्तावेजों का अनुप्रमाणन करने के लिए अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। निम्नलिखित रैंकों के अधिकारियों को अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:- (क) तहसीलदार, (ख) सरकारी डिग्री कालेजों/इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्य, (ग) सरकारी बालिका डिग्री कालेजों/बालिका इंटर कालेजों की प्रधानाचार्य, (घ) सभी ब्लॉकों के संयुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी और (ङ) नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी (राजपत्रित)। डाकखानों के डाकपालों को भी, जिस जिले में डाकखाना स्थित है, वहां के निर्वाचकों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपर पदनामित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

8.5 बूथ लेवल अधिकारी - निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की प्रविष्टियों का और उनके संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचकों के सामान्य निवास की स्थिति का सत्यापन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों का उपयोग कर सकते हैं।

## 9. सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने के लिए विशेष प्रयास -

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निम्नलिखित सहित, यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति विधिवत रूप से पंजीकृत हो और कोई भी पात्र व्यक्ति पंजीकृत होने से न छूटे :-

1. समाचार पत्र विज्ञापनों के अलावा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का समुचित प्रचार किया जाए जो कि नियमों के अधीन अनिवार्य है।



2. प्रत्येक तहसील, विकास खण्ड कार्यालय, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में फार्म प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर खोले जाएं।
3. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाए गए मतदाता पंजीकरण केन्द्रों को परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता पंजीकरण केन्द्रों के रूप में भी उपयोग किया जाना चाहिए।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी आवेदन फार्म ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5. सभी विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों में नामांकन के लिए खाली आवेदन फार्मों के वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों से भरे हुए आवेदन फार्म लाने तथा उन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भेजने के लिए कहा जाना चाहिए।

#### **10. पारदर्शिता संबंधी अनुदेश-**

आयोग ने विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की पुनरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। ये अनुदेश स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशन के समय स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावलियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाएंगी। इन नामावलियों में निर्वाचकों का फोटो नहीं होगा। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावली की एक सॉफ्ट प्रति तथा एक हार्ड प्रति मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएगी। हालांकि, नामावलियों की ऐसी सॉफ्ट प्रति में निर्वाचकों के चित्र नहीं होने चाहिए। दावों तथा आपत्तियों की मतदान केन्द्रवार सूची जिसमें बिना फोटो के एक एकल आवेदन फार्म देखने की सुविधा भी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर आवेदन फार्म की वस्तुस्थिति की जांच करने की सुविधा के साथ, डाली जाएगी। इसके अतिरिक्त, एपिक नंबर तथा निर्वाचक के नाम के आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम ढूंढने की सुविधा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में, निर्वाचकों द्वारा आवेदनों के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए स्नातक/डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियाँ कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस में अपलोड की जाएं।

#### **11. परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां कम्प्यूटरीकृत की जानी हैं -**

परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां कम्प्यूटरीकृत की जाएंगी। इन नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए विस्तृत अनुदेश अनुबंध-6 पर हैं। स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए ईआरएमएस सॉफ्टवेयर आयोग में तैयार किए जाएंगे तथा इनके तैयार होते ही इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

#### **12. स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की डाटाबेस संरचना-**

स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के डाटाबेस अनुबंध-7 में विहित संरचना के अनुसार अनुरक्षित किए जाएंगे। विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक डाटाबेस की सुरक्षा पर आयोग के अनुदेश स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक डाटाबेस पर भी लागू होंगे।

#### **13. अंतिम प्रकाशन के पश्चात् डाटा:- निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात्, अनुबंध ग में इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में एक समेकित रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।**

115

14. सतत अद्यतनीकरण-

स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 एवं 23 के उपबंधों के अधीन उस निर्वाचन में नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक, सतत अद्यतनीकरण के लिए उपलब्ध रहेंगी जिसके निमित्त नामावली तैयार की गई है। अर्हक तिथियां वही बनी रहेंगी जिनके संदर्भ में नामावलियां अंतिम बार तैयार की गई थी।

भवदीय,

(आर.के.श्रीवास्तव)  
वरिष्ठ प्रधान सचिव

1119

अनुबंध-1

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर, 20..... को समाप्त तिमाही के दौरान..... (संबंधित स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाओं/जिला बोर्डों/छावनी बोर्डों/ अधिसूचित क्षेत्र समिति/जिला परिषदों/ पंचायत समितियों/ मंडल पंचायतों इत्यादि के नाम) की सदस्यता में हुए सभी परिवर्तन नीचे उल्लिखित पत्र सं.....तथा दिनांक.....के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित कर दिए गए हैं:-

1.

2.

3.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

.....  
(संबंधित स्थानीय प्राधिकरण का नाम)

दिनांक:

2113

## अनुबंध-2

### प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिछले छह पूर्ववर्ती वर्षों में तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए.....(संस्थान का नाम) में नियमित/तदर्थ आधार पर एक संस्वीकृत पद के प्रति अध्यापन करते रहे/रही हैं।

2. (क) \*\*संस्थान के अभिलेख के अनुसार, संस्थान में .....(तिथि) से .....(तिथि) तक लगातार परिनियोजित रहे/रही हैं।

### अथवा

(ख) \*\* संस्थान के अभिलेखों के अनुसार, वे इस संस्थान में सेवा की निम्नलिखित अवधियों के लिए परिनियोजित रहे/रही हैं:-

.....से.....तक

.....से.....तक

.....से.....तक

.....

.....

(संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर, नाम तथा मुहर)

(\*\*जो प्रयोज्य ना हो उसे काट दें)

कृपया ध्यान दें: यदि कोई व्यक्ति, जिसने शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया है और वह पिछले छह वर्षों में एक से अधिक विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य में परिनियोजित रहा है, तो ऐसे प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से, उस अवधि के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जिसके लिए वह उस शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक कार्य के लिए परिनियोजित था।

यदि कोई व्यक्ति आवेदन की तिथि को शिक्षण- कार्य में परिनियोजित नहीं है, तो प्रमाण-पत्र उस संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जहाँ वह अन्तिम बार सेवारत थे।

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का फार्मेट

(नोट: नामावली प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए भागवार प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक भाग की नामावली खण्डवार प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचक नामावली के एकीकृत किए जाने तक मूल नामावली के साथ पृथक रूप से समावेशन, विलोपन और संशोधन अनुपूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।)

निर्वाचन-क्षेत्र हैडर  
 पार्ट हैडर  
 निर्वाचक नामावली की पार्ट सं.  
 पार्ट सार  
 निर्वाचन-क्षेत्र सार

निर्वाचक नामावली का प्रत्येक भाग निम्नलिखित स्तम्भों में खण्डवार प्रकाशित किया जाएगा:-

खण्ड सं.....

स्थानीय प्राधिकरण का नाम.....

1. भाग की क्रम सं.
2. निर्वाचक का प्रथम नाम
3. निर्वाचक का उपनाम
4. संबंध का नाम
5. संबंधी का उपनाम
6. संबंध का प्रकार (पिता/माता/पति/अन्य)
7. लिंग
8. जन्मतिथि
9. क्या साक्षर हैं (हां/नहीं)
10. फोटो
11. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या
12. उस राज्य का नाम जहां निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है) में पंजीकृत है।
13. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
14. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
15. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग की संख्या जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
16. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग का नाम जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
17. उस भाग की क्रम संख्या जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों का फार्मेट

(नोट: नामावली प्रत्येक स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए भागवार प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक भाग की नामावली खण्डवार प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचक नामावली के एकीकृत किए जाने तक मूल नामावली के साथ पृथक रूप से समावेशन, विलोपन और संशोधन अनुपूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।)

निर्वाचन-क्षेत्र हेडर  
पार्ट हेडर  
निर्वाचक नामावली की पार्ट सं.  
पार्ट सार  
निर्वाचन-क्षेत्र सार

निर्वाचक नामावली का प्रत्येक भाग निम्नलिखित स्तम्भों में खण्डवार प्रकाशित किया जाएगा:-

1. भाग में क्रम सं.
2. निर्वाचक का प्रथम नाम
3. निर्वाचक का उपनाम
4. संबंधी का नाम
5. संबंधी का उपनाम
6. संबंध का प्रकार (पिता/माता/पति/अन्य)
7. लिंग
8. जन्मतिथि
9. शैक्षिक योग्यता (वह योग्यता, जिसके आधार पर निर्वाचक को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किया गया है।)
10. फोटो
11. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या
12. उस राज्य का नाम जहां निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है) में पंजीकृत है।
13. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
14. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
15. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग की संख्या जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
16. उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग का नाम जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
17. उस भाग की क्रम संख्या जहां निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)

### शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के लिए प्रपत्र

(नोट:- प्रत्येक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली का भाग वार मुद्रण किया जाएगा। प्रत्येक भाग की नामावली सेक्शन वार प्रकाशित की जाएगी। जब तक निर्वाचक नामावली एकीकृत नहीं कर दी जाती है तब तक मूल नामावली के साथ-साथ अलग से समावेशन, विलोपन, संशोधन अनुपूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।)

निर्वाचन क्षेत्र हैडर

पार्ट हैडर

निर्वाचक नामावली की पार्ट सं.

पार्ट सार

निर्वाचन क्षेत्र सार

निर्वाचक नामावली का प्रत्येक भाग निम्नलिखित स्तंभों में मुद्रित किया जाएगा।

1. पार्ट में क्रम संख्या
2. निर्वाचक का पहला नाम
3. निर्वाचक का उपनाम
4. संबंधी का नाम
5. संबंधी का उपनाम
6. संबंध के प्रकार (पिता / माता / पति / अन्य)
7. लिंग
8. जन्म-तिथि
9. पिछले छः वर्षों में से तीन वर्ष के लिए जिस / जिन शिक्षण संस्थान (नों) में कार्यरत थे उस / उन विशिष्ट शिक्षण संस्थान (नों) का नाम (उन सभी शिक्षण संस्थानों के नाम दिए जाने चाहिए जिनमें निर्वाचक पिछले छः वर्षों से शिक्षण में कार्यरत है।)
10. फोटो
11. एपिक नम्बर
12. राज्य का नाम जहाँ निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है (यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
13. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जहाँ निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
14. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहाँ निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
15. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग की संख्या जहाँ निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
16. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पार्ट का नाम जहाँ निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)
17. पार्ट में क्रम सं. जहाँ निर्वाचक पंजीकृत है (यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है)

**अनुबंध-6****विधान परिषद की निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विस्तृत अनुदेश**

1. निर्वाचक नामावली प्रबंधन प्रणाली की विद्यमान सारणी के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, पार्ट और निर्वाचकों के लिए अलग सारणी तैयार की जाए जैसे की नीचे विनिर्दिष्ट है।
2. ऐसी प्रत्येक सारणी के लिए डाटा अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ उस निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय भाषा में भी बनाई जानी चाहिए।
3. ऐसी सभी यूनिटों जैसे (राज्य कोड के लिए ST-CODE, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए AC-NO और पार्ट के लिए PART-NO) को लिंक करने के लिए विद्यमान कंट्रोल सारणी में अपनाई गई नामकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी (पार्ट) भागों का अलग से रखरखाव करना चाहिए।
5. ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक भाग को जिला संख्या का प्रयोग करने वाले जिलों के साथ लिंक किया जाना चाहिए।
6. निर्वाचकों के विवरण के रखरखाव के लिए सातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु अलग से सारणी का प्रयोग किया जाना चाहिए।
7. निर्वाचक विवरणों को निम्नलिखित फील्ड्स के आधार पर ई आर एम एस की विद्यमान निर्वाचक नामावली के साथ लिंक किया जा सकता है:
  - राज्य कोड
  - विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
  - भाग संख्या
  - एपिक संख्या
8. ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली का भाग-वार मुद्रण किया जाना चाहिए।
9. कंट्रोल सारणी के विवरणों के साथ निर्वाचक नामावली का मौजूदा निर्धारित प्रपत्र निर्वाचक नामावली के मुद्रण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
10. ऐसे सभी निर्वाचकों को पहचानने के लिए ई आर एम एस की विद्यमान नामावली का प्रयोग किया जा सकता है।



168  
अनुसूची - 7

Annexure - 7

विधान परिषद निर्वाचक नामावलिओं की डाटाबेस संरचना

Database Structure of Legislative Council Electoral Rolls

Database Name: ECICONTROLTABLE

1. Table Name- TC\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
TC_NO	int	Checked
TC_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
TC_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

2. Table Name- GC\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
GC_NO	int	Checked
GC_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
GC_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

3. Table Name- TPART\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
TC_NO	int	Checked
TPART_NO	int	Checked
DIST_NO	int	Checked
TPART_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
TPART_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

4. Table Name- GPART\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
GC_NO	int	Checked
GPART_NO	int	Checked
DIST_NO	int	Checked
GPART_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
GPART_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

Database Name: EDETAILS\_TC\_GC

1. Table Name- T\_ELECTORS

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
AC_NO	int	Checked
PART_NO	int	Checked
TC_NO	int	Checked
TPART_NO	int	Checked
FNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
FNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
LNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
LNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLN_TYPE	char(1)	Checked
RNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
ADDRESS	nvarchar(300)	Checked
INSTI_NAME	nvarchar(200)	Checked
DOB	date	Checked
AGE	int	Checked
EPIC_NO	nvarchar(17)	Checked

## 2. Table Name- G\_ELECTORS

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
AC_NO	int	Checked
PART_NO	int	Checked
GC_NO	int	Checked
GPART_NO	int	Checked
FNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
FNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
LNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
LNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLN_TYPE	char(1)	Checked
RFNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RFNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
HOUSE_NO	nvarchar(20)	Checked
QUALIFICATION	nvarchar(50)	Checked
OCCUPATION	nvarchar(100)	Checked
DOB	date	Checked
AGE	int	Checked
EPIC_NO	nvarchar(17)	Checked

2017

## अनुबंध-क

.....विधान परिषद के सातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलिां तैयार करना

### निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अन्तर्गत नोटिस

- (1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुपालन में ऐसे प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिनके विवरण नीचे दी गई प्रथम अनुसूची में प्रकाशित हैं, उसमें उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि नामावली में अपना नाम शामिल करवाने के लिए वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से संलग्न फार्म 18, जिसकी प्रतिलिपि नीचे दूसरी अनुसूची में दी गई है, में आवेदन उसके कार्यालय में 7 नवम्बर, 20....(दिन) को या तक भेज दें, या जमा करवा दें।
- (2) आवेदन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारियों, जिनके ब्योरे नीचे प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं, को भी भेजे जा सकते हैं।

*जैसा कि किसी भी निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार सातक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली नई तैयार की जानी अपेक्षित है इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा निर्वाचक नामावली में शामिल नामों वाले सभी व्यक्तियों को भी विहित फार्म में नए आवेदन जमा करने चाहिए।*

अर्हताएं-ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है तथा 1 नवम्बर..... से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का सातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। उक्त समतुल्य अर्हताओं की सूची नीचे दी गई प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिकारियों के पास उपलब्ध है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जाएगा जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया था।

- (3) सभी मामलों में फार्म-18 (दूसरी अनुसूची में संलग्न) में आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक समर्थक दस्तावेज का होना अनिवार्य है:-

(1) संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल रूप में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र या विधिवत रूप से उसकी स्वप्रमाणित फोटोप्रति जिसे किसी भी अपर नामनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया हो और जो निम्नलिखित रैंक का हो (क) तहसीलदार (ख) सरकारी डिग्री कालेजों/इंटर कालेजों के प्रधानाचार्य (ग) सरकारी महिला डिग्री कालेजों/इंटर कालेजों के प्रधानाचार्य (घ) सभी ब्लॉकों के संयुक्त ब्लॉक विकास अधिकारी; तथा (ड.) नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के कार्यपालक अधिकारी (राजपत्रित) और (च) संबंधित जिलों के सभी राजपत्रित अधिकारी तथा नोटरी पब्लिक; या

(1) सरकारी रिकॉर्ड में प्रविष्टि की प्रति या कार्यालयों के राजपत्रित प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में, जो की नीचे तीसरी अनुसूची के रूप में पुनः दिया गया है, सातक कर्मचारी को जारी किया गया प्रमाणपत्र; उसके संरक्षण में सरकारी रिकार्डों में प्रविष्टियों संबंधी या सांविधिक निकाय के रिकार्ड में प्रविष्टि की प्रति,

- कार्पोरेशन या सार्वजनिक उपक्रम जिसमें दावेदार की डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र का उल्लेख हो तथा इन्हें संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित किया गया हो।
- (1) विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत स्नातक के रूप में जारी पंजीकरण कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति; अधिवक्ताओं की नामावली में पंजीकृत स्नातकों की सूची में सुसंगत प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, चिकित्सकों के रजिस्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट के रजिस्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा रखे गए इंजीनियरों के रजिस्टर की अनुप्रमाणित प्रति इत्यादि; अथवा
  - (2) दावेदार द्वारा दिया गया शपथपत्र जिसके साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेज के प्रधानाचार्य या ऐसे कालेज के विभागीय प्रमुख जिसके अधीन उसने पढ़ाई की थी, की ओर से दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न होगा।
  - (3) संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई मूल अंक तालिका या उसकी कोई स्वप्रमाणित प्रति जो कि अपर नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित की गई हो बशर्ते इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख हो कि दावेदार ने संबंधित परीक्षा पास की है।
- (4) पात्र व्यक्तियों को यथा प्रक्रिया निम्नानुसार पैरा 3 में सूचीबद्ध समर्थक दस्तावेजों सहित इस संबंध में निर्धारित फार्म-18 में अपने नामों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए:-
- (1) जिन मामलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन डाक द्वारा भेजे जाते हैं, उन मामलों में आवेदक को अपने आवेदन के साथ स्वप्रमाणित तथा अपर नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अंक तालिका की प्रति संलग्न करनी होगी।
  - (2) जिन मामलों में आवेदक सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से इस प्रयोजनार्थ विधिवत रूप से नियुक्त नामनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन जमा कराते हैं, वे नामनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष मूल डिग्री/प्रमाणपत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करेंगे।
- (5) ऐसा कोई भी आवेदन जिसमें उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया होगा उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 'अपूर्ण' मानकर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (6) बड़ी संख्या में जमा कराए गए आवेदनों, चाहे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाया गया हो या डाक द्वारा, पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समावेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, संस्थाओं के प्रमुख अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के आवेदन अग्रेषित कर सकते हैं। किसी कुटुम्ब का एक सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों के फार्म-18 जमा करवा सकता है तथा प्रत्येक सदस्य के संबंध में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा या आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित अनुसमर्थक दस्तावेज अपर नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित करवाकर जमा करेगा।
- (7) इस संबंध में यह नोट कर लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो आवेदन में ऐसा वक्तव्य या घोषणा करता है जो असत्य है और जिसके संबंध में वह ऐसा मानता है या जानता है कि वह असत्य है या ऐसा मानता है कि वह सत्य नहीं है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा।
- (8) फार्म-18 में मुद्रित आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। हस्तलिखित, टंकित, साइकलोस्टाइल किए गए निजी तौर से मुद्रित/डाउनलोड किए गए फार्म भी स्वीकार किए जाएंगे।

103

प्रथम अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र का नाम					
विस्तार:					
निर्वाचन अधिकारियों का व्योरा	नाम	पदनाम	कार्यालय पता	संपर्क दूरभाष संख्याएं	अधिकार क्षेत्र का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
2.सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
3.सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
4.सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
5.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
6.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
7.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
8.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
9.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
10.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
के हस्ताक्षर व सील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हेतु नोट (नोटिस और विज्ञापन में प्रकाशित न किया जाए)

- \* सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक स्थिति के अनुसार होगी। फार्मेट में इंगित संख्या पूर्णतः निदर्शी है।
- # ई आर ओ के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार (स्तंभ 6) पूरा निर्वाचन क्षेत्र होगा। ए ई आर ओ के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पूरा जिला तथा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के लिए परिभाषित क्षेत्र यथा उप प्रभाग या सर्कल अथवा ब्लॉक होगा। प्रत्येक विशिष्ट अधिकारी के लिए इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।



प्ररूप-19

(नियम 31 देखें)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

भारत निर्वाचन आयोग

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने का दावा

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

\_\_\_\_\_ (शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र।

चिपकाने के लिए हाल ही में अहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का, रंगीत फोटोग्राफ (4.5 से.मी. x 3.5 से. मी.) सफेद पार्श्वभूमि के साथ पूर्ण घेरे का सामने का दृश्य दिख रहा हो

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि \_\_\_\_\_ (शिक्षक) निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाए।

विवरण है:-

पूरा नाम

\_\_\_\_\_ लिंग \_\_\_\_\_

पिता/माता/पति का नाम (पूर्ण रूप से)

\_\_\_\_\_

घर का पता (साधारण निवास स्थान)

मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या	गली/मोहल्ला
नगर/ग्राम	शकघर
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा	
जिला	राज्य

आयु

☐ वर्ष

☐ माह

जन्म की तारीख

\_\_\_\_\_

अक्षमता (यदि कोई हो)- (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं) (वैकल्पिक क्षेत्र)

☐ दृष्टि क्षीणता

☐ वाक् और श्रवण अक्षमता

☐ चलन अक्षमता

☐ अन्य

क्या किसी विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं \_\_\_\_\_

यदि हाँ तो निम्नलिखित का वर्णन करें --

(क) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम \_\_\_\_\_

(ख) भाग/मतदान केन्द्र संख्या (यदि ज्ञात हो) \_\_\_\_\_

(ग) जन्म तारीख

\_\_\_\_\_

(घ) ईपीआसी नंबर (यदि कोई हो) \_\_\_\_\_

आधार विवरण:- (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक करें)

(क) ☐ आधार संख्या

\_\_\_\_\_ या

(ख) ☐ मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

संपर्क संख्या:

मोबाइल संख्या (वैकल्पिक)

\_\_\_\_\_

लैंड लाइन

\_\_\_\_\_

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)

\_\_\_\_\_

2 पिछले छह वर्षों के दौरान, मैं तीन वर्षों से अधिक की कुल समयावधि के लिए शिक्षा कार्य में संलग्न हूँ-			
शिक्षण संस्था का नाम	(तारीख) से	(तारीख) तक	अवधि
1			
2			
3			
4			

उपरोक्त के समर्थन में, मैं इसके साथ \_\_\_\_\_ प्रस्तुत करता/करती हूँ

---

3 \*इस या किसी अन्य शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

\*\*नीचे दिए गए पते पर..... शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूँ कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए:-

---

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का/की नागरिक हूँ और ऊपर दी गईं सब विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

\*जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए

..... (छिद्रण) .....

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/ की निवासी है, के प्ररूप 19 में आवेदन को,-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और भाग सं०.....में क्रम सं०..... पर रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है

(ख) निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर  
(पता) \_\_\_\_\_

---

..... (छिद्रण) .....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप 19 में आवेदन प्राप्त हुआ

तारीख \_\_\_\_\_

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर  
(पता) \_\_\_\_\_

\*आवेदक द्वारा भरा जाए



1160

### तीसरी अनुसूची

#### प्रारूप

कार्यालय के राजपत्रित प्रमुख द्वारा स्नातक कर्मचारी को उसकी  
शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में जारी प्रमाण-पत्र

मेरी अभिरक्षा में सरकारी रिकार्ड में प्रविष्टियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी /  
श्रीमती ..... (यहां पूरा नाम दें)  
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... जो इस कार्यालय में ..... के पद पर नियुक्त हैं,  
ने वर्ष ..... में ..... (विश्वविद्यालय/ बोर्ड के नाम का उल्लेख  
करें) ..... से .....  
..... (यहां डिग्री / डिप्लोमा परीक्षा के विवरण का उल्लेख करें) उत्तीर्ण की है।

स्थान : .....

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

दिनांक : .....

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)



## भारत निर्वाचन आयोग

.....विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण  
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अनुसरण में (1).....स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक ..... के अपने नोटिस के द्वारा ऊपर उल्लिखित सम्बन्धित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामालवी में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और (1)..... एवं (2).....समाचार पत्रों के दिनांक के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म 18 में अपना आवेदन .....तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 18 में अपने आवेदन..... तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी.....की शासकीय वेबसाइट  
www..... पर भी उपलब्ध है।

.....विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि तैयार करना

**निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अन्तर्गत नोटिस**

- (1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुपालन में ऐसे प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिनके विवरण नीचे दी गई प्रथम अनुसूची में प्रकाशित हैं, उसमें उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि नामावली में अपना नाम शामिल करवाने के लिए वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से संलग्न फार्म 19, जिसकी प्रतिलिपि नीचे दूसरी अनुसूची में दी गई है, में आवेदन उसके कार्यालय में 7 नवम्बर, 20....(दिन) को या तक भेज दें, या जमा करवा दें।
- (2) आवेदन, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारियों, जिनके ब्योरे नीचे प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं, को भी भेजे जा सकते हैं।

जैसा कि किसी भी निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली तैयार की जानी अपेक्षित है इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा निर्वाचक नामावली में शामिल नामों वाले सभी व्यक्तियों को भी विहित फार्म में नए आवेदन जमा करने चाहिए।

- (3) अर्हताएं: ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है, निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र होने के लिए 01 नवम्बर, 20.... से तत्काल पहले छह वर्षों के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए राज्य के भीतर ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य में लगा हो जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो। इस प्रकार से विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की सूची प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिकारियों के साथ उपलब्ध है।
- (4) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा फार्म 19 में किए जाने वाले आवेदन के साथ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा यह प्रमाणित करते हुए दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि शिक्षक के रूप में संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति अंतिम पूर्ववर्ती छह वर्षों के अंदर कुल तीन वर्ष की है। प्रमाणपत्र का प्रारूप निम्नलिखित अनुसार होगा।

191

प्रमाण - पत्र

“यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....(संस्थान का नाम) में नियमित / तदर्थ \*\* आधार पर संस्वीकृत पद के प्रति अंतिम पूर्ववर्ती छह वर्षों के अंदर कुल तीन वर्षों से पढ़ा रहे हैं।

2. (क) \*\* संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार, वह इस संस्थान में लगातार.....(तारीख) से .....(तारीख) तक लगे हुए शिक्षण कार्य में रहे हैं।

या

(ख) \*\* संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार, वे इस संस्थान में निम्नलिखित सेवा की अवधि के लिए कार्यरत रहे हैं

.....से.....को

.....से.....को

.....से.....को

.....(संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर, नाम और सील)

(\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)

6. यदि आवेदन की तारीख को व्यक्ति शिक्षण कार्य में कार्यरत नहीं है तो उस संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जहां उसने अन्तिम सेवा की थी।
7. व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा थोक में जमा कराए गए आवेदनों पर ईआरओ द्वारा उन्हें शामिल करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, संस्थानों के प्रमुख अपने सभी स्टाफ के आवेदनों को एक साथ अग्रेषित कर सकते हैं। परिवार का एक सदस्य भी अपने परिवार के सभी सदस्यों का फार्म 19 जमा करा सकता है और प्रत्येक सदस्य के संबंध में मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करके प्रमाणपत्रों को सत्यापित करा सकता है।
8. यह नोट किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो आवेदन में ऐसा वक्तव्य या घोषणा करता है जो कि मिथ्या है और जिसे कि वह जानता या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
9. फार्म 19 के मुद्रित आवेदन ईआरओ / ईईआरओ / पदाभिहीत अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा हाथ से लिखे हुए, टंकित, साइक्लोस्टाइल किए हुए या निजी तौर पर मुद्रित फार्म भी स्वीकार किए जाएंगे।

.....  
(प्रथम और द्वितीय अनुसूचियां यहां मुद्रित करें)

प्रथम अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र का नाम					
विस्तार:					
निर्वाचन अधिकारियों का व्योरा *	नाम	पदनाम	कार्यालय पता	संपर्क दूरभाष संख्याएं	अधिकार क्षेत्र का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
2.सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
3.सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
4.सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी					
5.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
6.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
7.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
8.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
9.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					
10.नामनिर्दिष्ट अधिकारी					

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
के हस्ताक्षर व सील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हेतु नोट (नोटिस और विज्ञापन में प्रकाशित न किया जाए)

- \* सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक स्थिति के अनुसार होगी। फार्मेट में इंगित संख्या पूर्णतः निदर्शी है।
- # ई आर ओ के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार (स्तंभ 6) पूरा निर्वाचन क्षेत्र होगा। ए ई आर ओ के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पूरा जिला तथा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के लिए परिभाषित क्षेत्र-यथा उप प्रभाग या सर्कल अथवा ब्लॉक होगा। प्रत्येक विशिष्ट अधिकारी के लिए इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।



“प्ररूप-18

(नियम 31 देखें)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

भारत निर्वाचन आयोग

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में नाम के समावेश के लिए दावा

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

\_\_\_\_\_ (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र.

राफेद पृष्ठभूमि के साथ  
पासपोर्ट आकार (4.5  
सेमी. X 3.5 सेमी) का  
रंगीन अहस्ताक्षरित, हात  
ही के फोटो के लिए  
स्थान जिसमें पूरे घेरे के  
सामने का भाग दिख रहा  
है

श्रीमान,

मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि मेरा नाम \_\_\_\_\_ (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

1. विशिष्टियां:-

पूरा नाम \_\_\_\_\_ लिंग \_\_\_\_\_

पिता/माता/पति का (पूरा नाम) \_\_\_\_\_

अईता \_\_\_\_\_

व्यवसाय \_\_\_\_\_

घर का पता (सामान्य निवास का स्थान)

भकान/भवन/अपार्टमेंट न.	गली/मोहल्ला
शहर/गाँव	पोस्ट ऑफिस
पुलिस स्टेशन/तहसील/तालुका/मौजा	
जिला	राज्य

आयु \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ महीना जन्म की तारीख \_\_\_\_\_

अक्षमता (यदि कोई हो):- (उचित बाक्स में टिक करें) (वैकल्पिक)

\_\_\_\_\_ दृष्टि क्षीणता \_\_\_\_\_ वाणी और श्रवण अक्षमता \_\_\_\_\_ चलन अक्षमता \_\_\_\_\_ अन्य \_\_\_\_\_

क्या किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूँ \_\_\_\_\_

यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें:-

(a) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम \_\_\_\_\_

(b) भाग/मतदान केन्द्र सं. (यदि ज्ञात है) \_\_\_\_\_

(c) जन्म की तारीख \_\_\_\_\_

(d) ईपीआसी संख्या (यदि कोई है) \_\_\_\_\_

आधार विवरण:- (कृपया उचित बाक्स में टिक करें)

(क) \_\_\_\_\_ आधार संख्या \_\_\_\_\_ या \_\_\_\_\_

(ख) \_\_\_\_\_ मैं आधार संख्या देने में अक्षम हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

संपर्क संख्या:

मोबाइल नं. (वैकल्पिक) \_\_\_\_\_

लैंडलाइन \_\_\_\_\_

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) \_\_\_\_\_

2. मैं.....विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ और सन .....में डिग्री / डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

या

•मैं..... डिप्लोमा/प्रमाणपत्र रखता हूँ जिसकी अहता स्नातक के समकक्ष है और वर्ष.....में डिप्लोमा / प्रमाणपत्र के लिए भारत में विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. स्नातक होने/उपरोक्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समर्थन में, मैं इसके साथ.....प्रस्तुत करता/करती हूँ।

4. ••इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

••नीचे दिए गए पते पर..... स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, और मैं निवेदन करता/करती हूँ कि वह उस नामावली से हटा दिया जाए

5. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का /की नागरिक हूँ और ऊपर दी गईं सब विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के स्थान अनुसार सत्य हैं।

स्थान

तारीख

दावेदार के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

•जो पैरा लागू न हो उसे काट दीजिए

••जो शब्द समुचित न हों उन्हें काट दीजिए

(छिद्रण)

की गईं कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती / कुमारी.....जो.....का/ की निवासी है, के प्ररूप 18 में आवेदन को,

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती कुमारी.....के नाम को भाग सं०.....में क्रम सं०.....पर रजिस्टर कर दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारण से अस्वीकार कर दिया गया है.....

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर  
(पता)

(छिद्रण)

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर  
(पता)

\*आवेदक द्वारा भरा जाए



भारत निर्वाचन आयोग

.....विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना  
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुसरण में  
(1).....(2).....(3).....शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने दिनांक ..... के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित  
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामालवी में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे  
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और (1)..... एवं  
(2).....समाचार पत्रों के दिनांक..... के संस्करण में उक्त नोटिस  
की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म 19 में अपना आवेदन .....तक या उससे पहले उनके  
कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 19 में अपने आवेदन..... तक या उससे पहले जमा करवा दें,  
यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी.....की शासकीय वेबसाइट  
www..... पर भी उपलब्ध है।

92

अनुबंध-ग

भारत निर्वाचन आयोग											
.....विधान परिषद के सातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना 01.11.20.... को अर्हक तिथि के संदर्भ में											
राज्य						अंतिम प्रकाशन की तिथि					
निर्वाचन क्षेत्र का नाम	प्रारूप नामावली में कुल निर्वाचकों की संख्या	दावों की संख्या			कुल स्वीकृत	आपत्तियों की संख्या			प्रारूप नामावलियों से कुल विलोपन	प्रारूप नामावलियों से कुल सम्मिलित	अंतिम आंकड़ा
		दाखिल	स्वीकृत	निरस्त		दाखिल	स्वीकृत	निरस्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मुख्य निर्वाचन अधिकारी



**भारत निर्वाचन आयोग**  
**Election Commission of India**

निर्वाचन सदन  
NIRVACHAN SADAN  
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001  
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 37/LC/INST/ECI/FUNC/ERD/ER/2016

Dated: 5<sup>th</sup> September, 2016

To,

The Chief Electoral Officers,

1. Andhra Pradesh, Hyderabad
2. Telangana, Hyderabad
3. Bihar, Patna
4. Karnataka, Bangalore
5. Uttar Pradesh, Lucknow
6. Maharashtra, Mumbai

Subject: - Preparation of Electoral Rolls of Graduates' and Teachers' Constituencies of the Legislative Councils - Revised instructions -regarding.

Sir,

I am directed to state that prior to 2007, electoral rolls of Graduates' and Teachers' constituencies of Legislative Councils, were being prepared de-novo under rule 31 of the Registration of Electors Rules, 1960 immediately before every election requiring all eligible persons including those electors already enrolled in the then existing electoral rolls to apply afresh in Form 18/Form19, as the case may be, to the concerned EROs along with copy of relevant documents.

2. A writ petition [WP (C) No. 6084 of 2007 – *Sh. Praful Jagannath Hurne vs. Election Commission of India & Others*] was filed before Bombay High Court [Aurangabad Bench]. The High Court, by its Order dated 20.12.2007, held that the relevant Act and Rules do not confer jurisdiction or power on the Election Commission to order for preparation of electoral rolls afresh every time an election is held to Graduates'/Teachers' constituencies. The Court further directed that the Commission should not ask for a copy of eligibility documents from the electors already enrolled in the previous electoral rolls of such constituencies.

3. The Commission filed an SLP (c) No. 8017 of 2008 in the Supreme Court. At that time, the Supreme Court declined to grant stay against the Bombay High Court's above said order. The above-said SLP was pending in the Supreme Court, so the Commission issued guidelines for compliance of the said orders of the Bombay High Court. The ECI guidelines issued, inter alia, provided that the existing roll has to be used as draft rolls and only additions, corrections and deletions are required to be made.

4. Later, some other High Courts also gave orders on various issues relating to electoral rolls of council constituencies. In the light of Court's decisions and also experience gained in this regard, the Commission vide its letter No. 37/LC/2013-ERS, dated 27th May 2013, issued comprehensive instructions on the subject.

5. Now, the Supreme Court disposing of the said SLP (c) No. 8017 of 2008 mentioned as Civil Appeal No. 178 of 2016, has delivered its decision on 12th January, 2016, settling the law relating to preparation of electoral rolls for Graduates' and Teachers' Constituencies. As mentioned above, the appeal was filed by the Election Commission against the impugned final judgment and Order dated 20.12.2007 passed by the High Court of Bombay at Aurangabad in Writ Petition No.6084 of 2007, whereby it had, inter alia, struck down one of the clauses

92

[Clause 5 (f)] of the public Notice dated 01.10.2007 issued in the format devised by the Commission under Rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960, by the Electoral Registration Officers of Nagpur, Pune and Aurangabad Division Graduates' constituencies, inviting fresh applications in prescribed statutory Form 18 appended to the Registration of Electors Rules, 1960, from all electors eligible for inclusion of their names in the electoral roll of these Graduates' constituencies with reference to 1st November, 2007 as the qualifying date. In Para 5 (f) of that notice, it was stated that a mere reference to an entry in the earlier roll relating to the applicant shall not be taken into account for determining the eligibility for enrolment in the electoral rolls and the applicant will have to produce his degree or certificate, in original, for verification by the Designated Officer. The High Court had struck down the above clause as being without any legal authority or sanction. It held that the relevant Act and Rules do not confer jurisdiction or power on the Election Commission to order for preparation of electoral rolls afresh every time an election is held to Graduates' / Teachers' constituencies. It directed the Commission that the roll should be revised by publishing the existing roll as draft roll and not to ask for any documents from the electors, already enrolled in the electoral rolls of Graduates' / Teachers' constituencies. The Apex Court has considered the above question as to whether in matters of revision of the electoral rolls for graduates' / teachers' constituencies a fresh roll is to be prepared every time or the existing roll is to be revised and published after inviting claims and objections. It has held that the clear legislative intent of the provisions of Sections 21 and 22 of the Representation of the People Act 1950 and Rule 31 of the Registration of Electors Rules, 1960, in the context of revision of electoral rolls for graduates' and teachers' constituencies, is that it shall be prepared afresh every time as per the procedure embodied in Rule 31 of the 1960 Rules. It further held that the requirement of an eligible voter to submit fresh application in prescribed Form 18 in case of Graduates' constituency and in Form 19 in case of Teachers' constituencies every six years adequately takes care of the requirement spelt out by Section 22 of the 1950 Act that an eligible voter shall not be deleted from the electoral roll without an opportunity. The Apex Court thus upheld the validity of Clause 5 (f) of the impugned notice as being in conformity with the requirements of sub rule (4A) of rule 31 of 1960 Rules and that any contrary view taken would be erroneous.

6. Since, the Hon'ble Supreme Court has held that the law contemplates preparation of the electoral rolls for Graduates' and Teachers' Constituencies afresh every time, the Commission, taking all the factors including the above-said judgment of the Supreme Court, has decided to issue fresh comprehensive instructions. In supersession of its earlier instructions dated 27th May 2013 referred to above, which are as follows:-

**1. LEGAL PROVISIONS -**

*As per clause (3) of Article 171 of the Constitution of India, the composition of the Legislative Council of a State will be as under:-*

a) *As nearly as may be, one-third of the total members shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may, by law, specify;*

b) *As nearly as may be, one-twelfth of the total members shall be elected by electorates consisting of persons residing in the State who have been for at least three years graduates of any university in the territory of India or have been for at least three years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university;*

c) *As nearly as may be, one-twelfth of the total members shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament ;*

d) As nearly as may be, one third of the total members shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly;

e) The remainder of the total members shall be nominated by the Governor and shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following:— Literature, Science, Art, Co-operative Movement and Social Services.

(ii) It is clear from the above, that there are three types of constituencies of Legislative Councils, called council constituencies, for which electoral rolls are prepared. These are:—

- I. Local Authorities' Constituency;
- II. Graduates' Constituency;
- III. Teachers' Constituency.


(iii) For election to Legislative Council by MLAs, the list of such MLAs needs to be kept updated and the same is used as electoral roll for the election. This list should include the name of the nominated members, if any, of the Legislative Assembly.

(iv) The relevant legal provisions for electoral rolls for above said three categories of council constituencies of a Legislative Council are provided in Section 27 of Representation of the People Act, 1950 and Rules 30 and 31 of Registration of Electors Rules, 1960.

#### 1.1. Local Authorities' Constituencies –

According to Section 27 (2) (a) of Representation of the People Act, 1950, the electorate shall consist of members of such local authorities exercising jurisdiction in any place or area within the limits of that constituency as are specified in relation to that State in the Fourth schedule of the said Act

- 1.1.1 Clause (b) of Section 27 (2) provides that every member of each such local authority within a Local Authorities' constituency shall be entitled to be registered in the electoral roll.
- 1.1.2 Clause (d) of Section 27 (2) provides that in order to enable the Electoral Registration Officer to maintain the electoral roll corrected up to date under clause (c) of Section 27(2), the Chief Executive Officer of every local authority (by whatever designation such officer may be known), shall immediately inform the Electoral Registration Officer about every change in the membership of that local authority; and the Electoral Registration Officer shall, on receipt of the information, strike off from the electoral roll the names of persons, who have ceased to be, and include therein the names of person who have become, members of that local authority
- 1.1.3 Clause (e) of Section 27 (2) provides that the provisions of sections 15, 16, 18, 22 and 23 of Representation of the People Act, 1950 shall apply in relation to Local Authorities' constituencies as they apply in relation to Assembly Constituency.
- 1.1.4 Rule 30 (1) of Registration of Electors Rules, 1960 provides that the roll for every Local Authorities' constituency shall be prepared and maintained in such form, manner and language as the Election Commission may direct.
- 1.1.5 Rules 26 [except sub-rules (3) and (4)] and Rule 27 of Registration of Electors Rules, 1960 shall apply in relation to Local Authorities' constituencies as they apply in relation to an Assembly Constituency provided that an application for inclusion of name in the roll of local authorities' constituency shall be made in Form-17 instead of Form 6



## 1.2 Graduates' Constituencies -

**Qualifications/eligibility-**The eligibility of a person for enrolment in a Graduates' Constituency is to be determined having regard to provision of Article 171 (3) (a) of the Constitution and Sections 27 (3) (a), 27 (5) (a) and 27 (6) of the R. P. Act 1950. Accordingly, a person who has been, for at least three years before the qualifying date, a graduate of any University in the territory of India or has been in possession of equivalent qualifications as prescribed and is ordinarily resident of the concerned constituency is entitled to be registered as an elector in a Graduates' Constituency.

According to Section 27 (5) (a) of Representation of the People Act, 1950, a person must fulfill the following conditions for being entitled to be registered in electoral roll of a Graduates' Constituency -

- 1.2.1. Should be ordinarily resident in the Graduates' Constituency.
- 1.2.2. Should have, for at least three years before the qualifying date, been either a graduate of a University in the territory of India or in possession of any of the qualifications specified under clause (a) of sub-section (3) of section 27 of Representation of the People Act, 1950, by the State Government concerned, with the concurrence of the Election Commission, as qualifications which shall be deemed to be equivalent to that of a graduate of a University in the territory of India.
- 1.2.3. Section 27 (6) of Representation of the People Act, 1950 stipulates that the qualifying date shall be the 1st day of November of the year in which the preparation or revision of the electoral roll is commenced.
- 1.2.4. The provisions of Sections 15, 16, 18, 21, 22 and 23 of Representation of the People Act, 1950 shall apply in relation to Graduates' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies, as mandated by section 27(4)
- 1.2.5. Rule 31(1) of Registration of Electors Rules, 1960 provides that the roll for every Graduate's constituency shall be prepared in such form, in manner and language or languages as the Election Commission may direct.
- 1.2.6. Under rule 31(5), the provisions of Rules 10 to 27, except clause (c) of sub-rule (1) and clause (c) of sub-rule (2) of Rule 13, of Registration of Electors Rules, 1960 shall apply in relation to Graduates' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies. The claim application for inclusion in the roll of a Graduates' constituency shall be made in Form 18.

## 1.3 Teachers' Constituencies -

**Eligibility/qualification-**According to Section 27 (5) (b) of Representation of the People Act, 1950, a person must fulfill the following conditions for being entitled to be registered in electoral roll of a Teachers' Constituency

- 1.3.1. Should be ordinarily resident in the Teachers' Constituency.
- 1.3.2. Within the six years immediately before the qualifying date, for a total period of at least three years, should have been engaged in teaching in any of the educational institutions specified under clause (b) of sub-section (3) of Section 27 of Representation of the People Act, 1950 by the State Government concerned, with the concurrence of the Election Commission, as educational institutions within the State not lower in standard than that of a secondary school.
- 1.3.3. Section 27 (6) of Representation of the People Act, 1950 stipulates that the qualifying date shall be the 1st day of November of the year in which the preparation or revision of the electoral roll is commenced.

197

- 1.3.4. The provisions of Sections 15, 16, 18, 21, 22 and 23 of Representation of the People Act, 1950 shall apply in relation to Teachers' constituency as they apply in relation to assembly constituencies.
- 1.3.5. Rule 31(1) of Registration of Electors Rules, 1960 provides that the roll for every Teachers' constituency shall be prepared in such form, manner and language or languages as the Election Commission may direct.
- 1.3.6. Under rule 31(5), the provisions of Rules 10 to 27 except clause (c) of sub-rule (1) and clause (c) of sub-rule (2) of Rule 13 of Registration of Electors Rules, 1960 shall apply in relation to Teachers' constituency as they apply in relation to assembly constituencies. The claim application for inclusion in the roll of the Teachers' constituency shall be made in Form 19.

## 2 PROCEDURE FOR PREPARATION OF ELECTORAL ROLLS / ENROLMENT -

### 2.1 For Local Authorities' Constituencies -

- 2.1.1 In the case of Local Authorities' constituencies, there is no qualifying date.
- 2.1.2 Electoral Rolls of Local Authorities' constituencies are not revised. But they are kept up to date by the Electoral Registration Officer concerned, by making such corrections in mother list as are brought to his notice by the Executive Officers of the Local Authorities concerned. In order to enable the Electoral Registration Officer to maintain electoral rolls corrected up-to-date, the Chief Executive Officer of every local authority (by whatever designation such officer may be known) shall inform the Electoral Registration Officer each change in the membership of that local authority immediately after its occurrence. The Electoral Registration Officer shall, on receipt of the information, strike off from the electoral roll the names of persons who have ceased to be, and include therein the names of persons who have become, members of that local authority. Electoral Registration Officer should obtain, once in a quarter by the 15th January, 15th April, 15th July and 15th October, from the Chief Executive Officers of the local authorities in his jurisdiction, a certificate to the effect that all corrections have been duly intimated by them. The format of certificate is given at Annexure -1. Ordinary residence is not a condition for being an elector in elections to local authorities' constituencies.
- 2.1.2 Ex-officio and nominated members, if any, of the Local Authorities are entitled to be included in the Electoral Rolls along with elected members. In the case of members of one Local Authority, some of whom are ex-officio members of other Local Authorities, their names should appear only once where they are members.  
  
*Clarification- However, the facility of being enrolled in electoral rolls and voting in elections extended to the ex-officio and nominated members is subject to the conditions provided in the state laws pertaining to the said Local Authorities in the concerned state.*
- 2.1.3 According to Rule 30 of Registration of Electors Rules 1960, a person can apply for enrolment in a Local Authorities' constituency in Form 17. When such an application is received by the Electoral Registration Officer, he shall refer the application to the Chief Executive Officer of the Local Authority concerned and on receipt of information in relation thereto from the Chief Executive Officer, the Electoral Registration Officer shall act in accordance with clause (d) of sub-section (2) of Section 27 of Representation of the People Act, 1950.
- 2.1.4 Before every election from a Local Authorities' constituency, the electoral rolls shall be published by the Electoral Registration Officer in his office and also in the offices of the Local Authorities comprised in the said Local Authorities' constituency, immediately inviting claims and objections by giving a minimum of seven days for the purpose. Any claims (in Form 17) and objections (in Form 7) received

186

9

within the time fixed, shall be disposed of by the Electoral Registration Officer within a period of three days after referring it to the Chief Executive Officers of the local authorities concerned. On receipt of information relating thereto from the Chief Executive Officer of the said local authority, Electoral Registration Officer shall take further necessary action for inclusion / deletion / correction of entries. Every subsequent correction in the rolls, whether by way of addition / deletion / modification shall be authenticated by full signature of the Electoral Registration Officer. The roll shall be again published after incorporating the claims and objections accepted within three days thereafter and in any case before the last date for filing of nominations for election. The provisions of Section 23(3) of Representation of the People Act, 1950 will also apply in this case, i.e. no addition/deletion/amendment shall be made in the electoral roll after 3 00 P.M. on the last date for filing of nominations for election.

**2.2 For Graduates' and Teachers' Constituencies –**

- 2.2.1 The electoral rolls shall, be prepared afresh, in the prescribed manner, with reference to the qualifying date before every biennial election or before every bye-election to fill a casual vacancy in any year. Provided further that if the electoral rolls are not prepared afresh, as aforesaid, the validity or continued operation of the existing electoral rolls shall not thereby be affected. The qualifying date for this is 1st day of November of the year in which the preparation or revision of rolls is commenced.
- 2.2.2 The de-novo preparation should be done before every Biennial /bye election is due from the constituency.
- 2.2.3 Accordingly, Chief Electoral Officer should prepare well in advance the draft schedule for preparation of electoral rolls of Graduates' and Teachers' constituencies, well before the date of publication of notice for enrolment on 1st October of the year in which de novo preparation of the roll of the concerned constituency is to be undertaken and send it for approval of the Commission.
- 2.2.4 As mentioned in the preceding paragraphs, the qualifying date for being enrolled in these constituencies is 1st day of November of the year in which the preparation or revision of the electoral rolls is commenced (please refer to Section 27 (6) of the Representation of the People Act, 1950).
- 2.2.5 According to Rule 31 of Registration of Electors Rules, 1960, the Electoral Registration Officer shall issue a public notice (Annexure-A or B, as the case may be) on or before 1st October calling upon every person entitled to be registered in that roll to send to or deliver at his office before the 7th day of November next following an application in Form 18 or Form 19, as the case may be, for inclusion of name. The said notice shall be published in two newspapers having circulation in the constituency and republished in them once on or about 15th October and again on or about 25th October in a summarized format given as Annexure A-1 or B 1 as the case may be. Care should be taken that this abstract notice is printed in a separate box column in an attractive and prominent manner, preferably colour shaded inside a box so as to draw attention of readers to it. In addition to this, the public notice should be displayed at some specified places also for knowledge of public and other stakeholders. Copies of the notice should be circulated to all recognized and registered political parties. EROs of Teachers' Constituency should address a letter to all educational institutions whose teachers are qualified for registration as elector in Teachers' Constituency for their cooperation in the matter. The EROs of Graduates' Constituency should address similar letters to all educational institutions, officers' associations, banks, firms, clubs, etc. located in the constituency requesting for full cooperation in the matter. A copy each of the public notice published in newspapers should also be forwarded to the Commission.
- 2.2.6 Eligible persons should apply for enrolment of their names in the prescribed Forms (Form 18 for Graduates' and Form 19 for Teachers' Constituencies) along with supporting documents which are available on the Commission's website at the links [http://eci.nic.in/eci\\_main/forms/Form\\_18E.pdf](http://eci.nic.in/eci_main/forms/Form_18E.pdf) and [http://eci.nic.in/eci\\_main/forms/Form\\_19E.pdf](http://eci.nic.in/eci_main/forms/Form_19E.pdf).



✓ 95

- 2.2.7 In teachers' constituencies, where the application forms are not received through the Heads of Institutions, the same should be got verified by the EROs from the Heads of Institutions.
- 2.2.8 Form 18 (For Graduates' Constituency) and Form 19 (For Teachers' Constituency) for inclusion of names should be got printed on one side of the page only and acknowledgement receipt printed thereon should be detached and furnished to all the applicants through the Heads of the Institutions or directly, as the case may be.

**2.2.9 Graduates' Constituencies-**

- 2.2.10 Before de-novo preparation of electoral rolls of the concerned Graduates' constituency, the Chief Electoral Officer should obtain a copy of all Notifications issued by the State Government, with the concurrence of the Commission, under Section 27 (3) (a) of Representation of the People Act, 1950 specifying the qualifications which shall be deemed to be equivalent to that of a graduate of a University in the territory of India. The Chief Electoral Officer should then prepare an updated list of such specified qualifications and send a copy of the list to every Electoral Registration Officer. It should be uploaded in CEOs' portal for information of all stakeholders. Wide publicity should be given to the list of specified qualifications for information of the Public.
- 2.2.11 As a person has to apply (in Form 18) for enrolment in Graduates' constituency, in addition to verification of the ordinary resident status of the applicant, it is necessary to verify that the applicant is in possession of the required educational qualifications for at least three years prior to the qualifying date.

*Clarification- The three year period for which a person should be a graduate before registration will count from the date on which the result of the qualifying degree examination was declared and published by the university or an authority concerned and not from the date of convocation.*

The applicant shall have to submit documentary proof of having such an educational qualification to the satisfaction of the Electoral Registration Officer or the Assistant Electoral Registration Officer concerned. The Electoral Registration Officer or the Assistant Electoral Registration Officer concerned should make such verification of the documentary proof as he considers necessary. A copy of degree or mark-sheet of the required educational qualification attested by a Gazetted officer should normally be considered adequate documentary proof of possessing that educational qualification.

- 2.2.12 The eligible persons should apply for enrolment of their names in the prescribed Form 18 along with any of the documents listed below-
- a) The degree/diploma certificate, in original, issued by the University or Institution concerned or a copy thereof, duly authenticated by the Designated Officer/Additional Designated Officer/Gazetted Officer of the District concerned, after due verification of the same with the original degree/ diploma certificate; or
  - b) A copy of an entry in the Government record or a certificate issued to a Graduate employee by the Gazetted Head of Office/Institute on the basis of entries in Government records in his custody or a copy of an entry in the record of Statutory Bodies, Corporations or Public undertakings specifying the degree, diploma or certificate possessed by the claimant, duly attested by the Head of the office concerned; or
  - c) An attested copy of the card of registration as Registered Graduate issued by the University, a certified copy of the relevant entry in the list of Registered Graduates', the Roll of Advocates, the Register of Medical Practitioners, the Register of Chartered Accountants, the Register of Engineers maintained by Institute of Engineers, etc.; or
  - d) An Affidavit by the claimant, supported by certificate from the Registrar of the University, or the Principal of the College affiliated to University or from the Head of the Department of such College under whom he had studied; or

- e) The mark sheet, in original, issued by the University or Institution concerned or a copy thereof, duly authenticated by the Designated Officer/Additional Designated Officer/Gazetted Officer of the District concerned/Notary Public, after due verification of the same with the original mark-sheet, provided that there is a clear indication that the claimant has passed the relevant examination.
- 2.2.13 The applications can also be sent by post to the Electoral Registration Officer/ Assistant Electoral Registration Officer/Designated Officer, enclosing a copy of applicants' degree/diploma certificate/mark sheet or other requisite document, duly authenticated by the Designated Officer /Additional Designated Officer/ Gazetted Officer of the district concerned /Notary Public, after due verification of the same with the original degree/ diploma certificate/ mark-sheet other requisite document.
- 2.2.14 In case the applicant submits his application in person before the ERO/Assistant Electoral Registration Officer or Designated Officer, duly appointed for the purpose, he will produce the original degree/ diploma certificate/ mark sheet before them. The officer will scrutinize the degree/ diploma certificate/ mark sheet or requisite document submitted with the application and after satisfying himself and record either "Verified with original and found correct" or "Verified with original and found not correct - Rejected". He will then affix his signature, full name and PIN number (in case of Designated Officer) on the application as mark of a summary enquiry and forward the application to the Electoral Registration Officer, where it is presented to AERO/Designated Officer.
- 2.2.15 Any application where the above procedure is not followed will summarily be rejected by the Electoral Registration Officer as incomplete.
- 2.2.16 As the electoral rolls for the Graduates'/Teachers' constituencies are required to be prepared afresh every time before a biennial/bye-election, all persons whose names are included in the existing rolls should also submit fresh application in the prescribed Form.
- 2.2.17 Every application in prescribed Form 18 by a person seeking enrolment in Graduates' constituency shall be accompanied by requisite documents/certificate. It may be noted that mere reference to an entry in the existing electoral roll will not be repeat will not be taken into account for determining the eligibility of a person for enrolment in the electoral rolls.
- 2.2.18 Section 20(4) of the RP Act, 1950 does not apply for the purpose of electoral rolls for Graduates' constituency. Therefore, the facility of enrolment of declared office holders in native place by the declaration in Form I is not available in the case of Graduates' constituency. They can get their name enrolled, if eligible, in the place where they are ordinarily resident for the time being.
- 2.2.19 Applications in bulk whether submitted in person or by post, shall not be considered for inclusion by the Electoral Registration Officer

*Clarification- However, the Heads of the Institutions may forward the applications of all their eligible staff together. Similarly, a person may also submit Forms 18 in respect of other eligible members of his family, residing at the same address and may get the certificate verified by producing original certificates in respect of each such member. Any bulk applications submitted by political parties, Booth Level Agents or Resident Welfare Associations shall not be considered*

### 2.3 Teachers' Constituencies-

- 2.3.1 Before de-novo preparation of electoral roll in the year in which the election is due from the constituency, the Chief Electoral Officer should obtain a copy of all Notifications issued by the State Government, with the concurrence of the Commission, under Section 27 (3) (b) of Representation of the People Act, 1950 to specify the educational institutions within the State not lower in standard than that of a secondary school. The Chief Electoral Officer should then prepare an updated list of such specified educational institutions and send a copy of the list to every Electoral Registration Officer. Wide publicity should be given to the list of specified educational institutions for information of the Public.

- 2.3.2 As the electoral rolls for the Graduates'/Teachers' constituencies are required to be prepared afresh every time before a biennial/bye-election, all persons whose names are included in the existing rolls should also submit fresh application in the prescribed Form
- 2.3.3 Every application in prescribed Form 19 by a person seeking enrolment in Teachers' constituency shall be accompanied by requisite documents/certificate. It may be noted that mere reference to an entry in the existing electoral roll will not be repeat will not be taken into account for determining the eligibility of a person for enrolment in the electoral rolls.
- 2.3.4 Enrolment in Teachers' constituency requires that the elector should have, within the six years immediately before the qualifying date for a total period of at least three years, been engaged in teaching in any of the specified educational institutions.

*Clarification - (1). The engagement of a person in teaching in the specified educational institutions for at least three years within the preceding six years may be either in one continuous spell or in broken spells and further, may be either in one institution or more institutions, but all such institutions must be specified by the State Government. Therefore, it is immaterial whether a person, who has been so engaged in teaching for a total period of three years in one or more specified educational institutions, has been employed in those institutions as teacher on regular basis or on ad-hoc basis but he should be whole time teacher (even if there is no sanctioned post) and not engaged on a part time basis as the condition for three years engagement in teaching cannot be fulfilled by a part-time teacher. Part-time teachers are not eligible for enrolment in the electoral rolls for Teachers' constituency.*

*(2) In the light of the order of the Hon'ble High Court of Allahabad (Lucknow Bench) dated 5<sup>th</sup> March 2008, in Writ Petition No. 1269 (M/B) of 2008 (Madhyamik Vitta Viheen Vidyalaya Prabandhak Mahasabha Vs State of Uttar Pradesh), the name of such teacher of unaided private school (if it is covered by the list of specified educational institutions) shall also be included in the electoral roll who intends to get his/her name enrolled in the voter list (i.e. electoral roll) of the Teachers' Constituency and approaches the ERO, after getting a certificate/counter signature from the District Inspector of Schools that he/she is a bonafide teacher of the specified educational institution having the required length of service and, whose standard is not below the standard of the secondary school*

- 2.3.5 Every person applying for enrolment (in Form-19) in Teachers' constituency must submit documentary proof of having been engaged in teaching in any of the specified educational institutions for a total period of at least three years within six years immediately before the qualifying date. The Electoral Registration Officer or the Assistant Electoral Registration Officer concerned should make such verification of the documentary proof as he considers necessary. A certificate by the Head of the teaching institution should normally be considered adequate documentary proof of possessing that teaching qualification. The certificate from the Head of the Institution shall be in the Format at Annexure-2

*Clarification - If any person, who has applied for inclusion of his name in a teachers' constituency, has been engaged in teaching in more than one specified educational institutions in the last six years, the certificate from the Head of institution of each of such educational institution will be required for the period for which he was engaged in teaching in that educational institution.*

- 2.3.6 As soon as Electoral Registration Officer receives list of specified educational institutions obtained by the Chief Electoral Officer from State Government, he should collect information about all persons who are eligible for enrolment in Teacher's Constituency from heads of specified educational institutions. He should further check whether all such eligible persons are enrolled in the draft electoral rolls being prepared by him or not. If the Electoral Registration Officer finds that an eligible person is left out, he should send a blank Form 19 to the concerned person with a request to fill the application form and send it to the Electoral Registration Officer through the head of the institution, in which the applicant has been working.

- 2.3.7 Section 20(4) of the R.P. Act, 1950 does not apply for the purpose of electoral rolls for Teachers' constituency. Therefore, the facility of enrolment of declared office holders in native place by the declaration in Form I is not available in the case of Teachers' constituency. They can get their name enrolled, if eligible, in the place where they are ordinarily resident for the time being.

*Clarification- It is not necessary that the educational institution in which an eligible elector is employed should also fall within the same Teachers' constituency. The eligibility to be enrolled in a particular Teachers' constituency should be determined on the basis of the applicants' place of ordinary residence and not on the basis of his place of work.*

- 2.3.8 Applications in bulk whether submitted in person or by post, shall not be considered for inclusion by the Electoral Registration Officer. However, the Heads of the Institutions may forward the applications of all their eligible staff together. Similarly, a person may also submit Forms 19 in respect of other eligible members of his family, residing at the same address and may get the certificate verified by producing original certificates in respect of each such member. Any bulk applications submitted by political parties, Booth Level Agents or Resident Welfare Associations shall not be considered.

### 3 SPECIAL GUIDELINES FOR COLLECTING EPIC NUMBERS -

- 3.1 Since electoral rolls for Graduates'/Teachers' constituencies are to be prepared afresh before every biennial/bye election after inviting fresh applications in Form 18/Form 19 followed by disposal thereof and publishing a draft roll accordingly, there should not be any reference of existing electoral roll in the draft electoral roll prepared afresh.
- 3.2 The Commission had decided to prepare photo electoral rolls for Graduates' and Teachers' constituencies. So the Chief Electoral Officers should issue instructions to collect photographs of all electors enrolled in Graduates' and Teachers' constituencies. For this purpose, EPIC numbers of the electors, who have not provided photograph in the Form, should be collected through Booth Level Officers. Since EPIC coverage in assembly constituencies is very high, it should not be difficult to collect EPIC number of almost all persons enrolled in Graduates' and Teachers' constituencies. After collecting this information, entries in electoral rolls of Graduates' and Teachers' constituencies should be linked with the entries in electoral rolls of assembly constituencies and merged with electoral rolls of Graduates' and Teachers' constituencies to prepare photo electoral rolls for council constituencies. There is no need to issue a separate EPIC for electors enrolled in Graduates' and Teachers' constituencies, but EPIC numbers already assigned to them in assembly constituencies should be entered in electoral rolls of Graduates' and Teachers' constituencies.

### 4 APPLICABILITY OF SECTIONS 17 AND 18 OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950 IN ENROLMENT IN COUNCIL CONSTITUENCIES -

The provisions of Sections 17 and 18 will apply in respect of enrolment in council constituencies also. A person cannot be registered as voter more than once in any Constituency or in more than one Constituency of the same category. But a person can, if duly qualified, be registered as a voter in Constituencies of different categories, namely, Graduates', Teachers' and Local Authorities'. For example a graduate teacher with the requisite qualification will be entitled to be registered both in the Graduates' constituency as well as in the Teachers' constituency.

*Clarification - However, in the case of members of one Local Authority, some of whom may be ex-officio members of other local authorities, their names should appear only once where they are members.*

### 5. FORMAT OF ELECTORAL ROLLS OF COUNCIL CONSTITUENCIES -

According to Rules 30(1) and 31(1) of the Registration of Electors Rules, 1960 the electoral rolls for Local authorities', Graduates' and Teachers' constituencies shall be prepared and maintained in such form,

81

manner and language or languages as the Election Commission may direct. The Commission has directed that -

**Format of the roll:-**

- a. The electoral rolls shall be Photo Electoral Rolls(PER) for Local Authorities', Graduates' and Teachers' constituencies.
- b. The electoral Rolls for Local authorities', Graduates' and Teachers' constituencies shall be maintained electoral part wise. One electoral part will have 800 to 1400 electors. Ordinarily, each electoral part will have one polling station.
- c. The part will be further divided into sections. Each section will ordinarily have 70 to 100 electors.
- d. The rolls of Local Authorities' constituencies should be prepared Local Authorities wise each section covering one Local Authority. Each section should be printed in different pages depending upon different types of Local Authorities comprised within that part whose members take part in the elections to Legislative Council.
- e. The names in each section should be arranged in alphabetical order. The names of members of Local Authorities in each section should be given serial numbers in one continuous series for the entire section. This number should be entered along with the name of the Local Authority at the top of the page relating to that Local Authority.
- f. The electoral rolls of Local Authorities', Graduates' and Teachers' constituencies shall be printed in the formats given at Annexure- 3, 4 and 5, respectively.
- g. The Commission has already issued its direction vide its letter no. 37/2013-ERS, dated 24<sup>th</sup> September 2013 prescribing therein the Format for electoral rolls for Graduates' and Teachers' constituencies. [Given in Annexure-8].

NOTE: It may be seen that in the format of rolls, fields such as serial no. of elector, name of relation, date of birth, photo, EPIC number, no. and name of assembly constituencies and name of state have been provided. For collecting information for these additional fields, amendments in Forms 17, 18 and 19 would be required and for this purpose, the proposal has already been sent to the Ministry of Law and Justice

**7.1.2 Language of the roll:-**

The electoral rolls of council constituencies shall be printed in the following languages:-

- a) Andhra Pradesh and Telangana - Telugu and English
- b) Bihar and Uttar Pradesh - Hindi and English
- c) Karnataka - Kannada and English; and
- d) Maharashtra - Marathi and English

Necessary direction has already been issued vide the Commission's letter No. 37/2013-ERS, dated 23<sup>rd</sup> September 2013. [See- Annexure-9].

NOTE- To sort out technical problems in converting the names in various languages, Unicode font should be used for electoral data base.

**8 ELECTORAL MACHINERY FOR PREPARATION AND REVISION OF ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES-**

- 8.1 Electoral Registration Officers - There shall be one separate Electoral Registration Officer for each Local Authorities, Graduates' and Teachers' constituency. Normally, the Divisional Commissioners/Deputy Commissioners are appointed as such Electoral Registration Officers of Graduates' and Teachers

80

'constituencies'. Electoral Registration Officers shall be officers of the State Government not below an Additional District Magistrate in rank.

- 8.2 Assistant Electoral Registration Officers - There shall be as many Assistant Electoral Registration Officers for each Graduates' and Teachers' constituency as may be required. Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers of all the assembly constituencies falling within the concerned Graduates' /Teachers' constituency shall be designated as the Assistant Electoral Registration Officers for said Council Constituency. There shall be at least one Assistant Electoral Registration Officer at Tahsil / Taluka level. The Assistant Electoral Registration Officer shall be an officer of the State Government not below a Tehsildar in rank. Generally, Assistant Electoral Registration Officers are not appointed in any of the Local Authorities' constituencies.
- 8.3 Designated Officer - Electoral Registration Officers shall appoint one Designated Officer for each polling station of Graduates' and Teachers' constituency during the period of receiving claims and objections. Designated Officers shall be available at polling stations during working hours on all working days to receive claims and objections. Electoral Registration Officers can also appoint Designated Officers for verifying the applications received by them and also for authentication of the documents to be submitted by the applicants. Designated Officer will be of the rank of a Deputy Collector / Sub Divisional Officer / Revenue Officer / Block Development Officer within the limits of the Constituency. The Designated Officer will be assigned a PIN No. and this will be mentioned by him in all correspondence with the Electoral Registration Officer as well as on the copies of the applications where verification has been done by him. The names of the Designated Officers along with the offices where they will be located and the days on which they will be present to receive applications in person shall be notified by the Electoral Registration Officers as part of the notice issued under rule 31 (3) of the Registration of Electors Rule, 1960 in the First Schedule, to that notice. All Designated Officers shall, without fail, attend to the duties from the time of issue of public notice under Rule 31 (3) upto the last date of receipt of applications. The Designated Officer will do supervisory checks with regard to status of ordinary residence of an elector during the period of disposal of claims and objections. Assistant Electoral Registration Officers and Electoral Registration Officers will make further supervisory check by conducting visits to offices of the Heads of Institutions/households of the applicants, as the case may be. These supervisory checks shall not be less than 12%, 8% and 4% respectively of the verifications made by the respective field officers.
- 8.4 Additional Designated Officers: Electoral Registration Officers can appoint Additional Designated Officers for the purpose of attesting the documents of the electors. The officers of the following ranks can be appointed as the Additional Designated Officer :- (a) Tehsildars; (b) Principal of the Govt. Degree Colleges / Inter Colleges; (c) Principals of the Govt. Girls Degree Colleges / Girls Inter Colleges; (d) Joint Block Development Officers of all Blocks; and (e) Executive Officers (Gazetted) of Nagar Palikas / Nagar Panchayats. Post Masters of Post Offices also can be appointed as Additional Designated Officers for the purpose of attesting the documents of the electors of the district in which the post office is situated.
- 8.5 Booth Level Officers- Electoral Registration Officers can use Booth Level Officers of polling areas in assembly constituencies for verification of entries of Graduates' and Teachers' constituencies including the status of ordinary residence of electors with regard to their respective areas.

#### 9. SPECIAL EFFORTS TO ENROLL ALL ELIGIBLE PERSONS -

Chief Electoral Officers must make all efforts including the following to ensure that each and every eligible person is duly enrolled and no eligible person is left out from enrolment: -

- 1 Adequate publicity should be given to the process of revision of electoral rolls through print and electronic media in addition to the newspapers advertisements which are mandatory under the rules
- 2 Special counters for collection of Forms should be arranged at every tehsil, block office, office of every District Election Officer, Electoral Registration Officer, Assistant Electoral Registration Officer.
- 3 Voter Registration Centers made for assembly constituencies should also be used as Voter Registration Centers for council constituencies.
- 4 Facility for on-line filing of application forms should be provided on the website of Chief Electoral Officers
- 5 Arrangements should be made for distribution of blank application forms for enrolment in Teachers' constituencies to all specified educational institutions. Heads of such educational institutions should be asked to collect filled application forms and send to the Electoral Registration Officers concerned.

#### **10. INSTRUCTIONS RELATED TO TRANSPARENCY--**

The Commission has issued detailed instructions with respect to transparency of revision process for assembly constituencies. These instructions shall apply to Graduates' and Teachers' constituencies as well. At the time of draft publication and final publication of the electoral rolls, polling stations wise electoral rolls of Graduates' and Teachers' constituencies shall be posted on the Chief Electoral Officer's website. These rolls shall not contain the images of electors. One soft copy and one hard copy of the electoral roll shall be given to all recognized political parties at the time of draft publication and final publication of electoral rolls; however, such soft copy of the rolls should not contain the images of the electors. A polling station wise list of claims and objections with drill down to individual application form without photograph shall also be put on the website of the Chief Electoral Officer, with facility for status checking of the application form. Further, Facility for searching the name in the electoral roll based on EPIC number and name of elector should be made available on the website of the Chief Electoral Officer. In the case of Graduates' constituencies, scanned copies of the Degree/Diploma Certificates, submitted by the electors along with applications may be uploaded in the computerized data base.

#### **11. ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES TO BE COMPUTERIZED-**

Electoral Rolls for council constituencies shall be computerized. Detailed instructions for computerization of these rolls are at Annexure-6. ERMS software for Graduates' and Teachers' constituencies would be developed in the Commission and made available to the Chief Electoral Officers as soon as it is developed.


#### **12. DATABASE STRUCTURE OF ELECTORAL ROLLS FOR GRADUATES' AND TEACHERS' CONSTITUENCIES-**

The database of Graduates' and Teachers' constituencies shall be maintained according to the structure prescribed in Annexure-7. The Commission's Instructions on security of electoral database of assembly constituencies will also apply to the electoral databases of Graduates' and Teachers' constituencies.

#### **13. Data After final publication:-** After the final publication of the electoral roll, a consolidated report in the proforma enclosed herewith at Annexure-C may be furnished to the Commission.

#### **14. CONTINUOUS UPDATION-**

The electoral rolls Graduates' and Teachers' constituencies shall be open for continuous updation under the provisions of Sections 22 and 23 of the Representation of the People Act, 1950 upto the last date of filing nominations in the election the roll is meant for. The qualifying dates shall continue to remain the same with reference to which the rolls were last prepared.

Yours faithfully  
  
 (B. K. Srivastava)  
 Sr. Principal Secretary

78

Annexure -1

**C E R T I F I C A T E**

Certified that all changes in the membership of \_\_\_\_\_ (name of the local body concerned such as Municipalities/District Boards/Cantonment Boards/Notified Area Committee / Zilla Parishads / Panchayat Samitis / Mandal Panchayats etc.) during the quarter ending March/June/September/December, 20\_\_\_\_ have been intimated to the Electoral Registration Officer vide letter No. \_\_\_\_\_ and date \_\_\_\_\_ mentioned below:---

- 1.
- 2.
- 3.

Chief Executive Officer

\_\_\_\_\_  
(name of the local authority concerned)

Date:



77

Annexure-2

**'CERTIFICATE'**

"This is to certify that Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ has been teaching in \_\_\_\_\_ (name of the institution) for a total period of three years within the last preceding six years against a sanctioned post on regular / ad-hoc \*\* basis.

2. (a) \*\*As per the records of the Institution, He / She has been engaged in this institution continuously from \_\_\_\_\_ (date) to \_\_\_\_\_ (date).

OR

(b) \*\*As per the records of the Institution, He/She has been engaged in this institution for the following periods of service:

From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

(Signature, Name & Seal of the Head of Institution)

(\*\* Strike out whichever is not applicable)

*N.B: If any person, who has applied for inclusion of his name in a teachers' constituency, has been engaged in teaching in more than one specified educational institutions in the last six years, the certificate from the Head of institution of each of such educational institution will be required for the period for which he was engaged in teaching in that educational institution.*

*In the case of a person who is not engaged in teaching on the date of application, the Certificate should be signed by the Head of the Institution, in which he last served.*



Annexure - 3

Format of Electoral Rolls of Local Authorities' Constituency

(Note: - Roll shall be published Part wise for each local authorities' constituency. Roll of each part will be published section wise. Separate inclusion, deletion and modification supplementary lists shall be published along with the mother roll till the electoral roll is integrated.)

Constituency Header

Part Header

Part No. of Electoral Roll

Part Summary

Constituency Summary

Each Part of the Electoral Roll shall be published sectionwise, in the following columns:-

Section No.....

Name of Local Authority.....

1. Serial Number in Part
2. First Name of Elector
3. Surname of Elector
4. Name of Relation
5. Surname of Relation
6. Relation Type (Father/Mother/Husband/Other)
7. Sex
8. Date of Birth
9. Whether literate(Yes/No)
10. Photo
11. EPIC Number
12. Name of State where elector is enrolled in Assembly Constituency (if enrolled in any assembly constituency)
13. No. of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
14. Name of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
15. No. of Part of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
16. Name of Part of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
17. Serial Number in Part where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)

Format of Electoral Rolls of Graduates' Constituency

(Note: - Roll shall be published Part wise for each graduates' constituency. Roll of each part will be published section wise. Separate inclusion, deletion and modification supplementary lists shall be published along with the mother roll till the electoral roll is integrated.)

Constituency Header

Part Header

Part No. of Electoral Roll

Part Summary

Constituency Summary

Each Part of the Electoral Roll shall be published in the following columns: -

1. Serial Number in Part
2. First Name of Elector
3. Surname of Elector
4. Name of Relation
5. Surname of Relation
6. Relation Type (Father/Mother/Husband/Other)
7. Sex
8. Date of Birth
9. Educational Qualification (The qualification on the basis of which elector is enrolled in the graduates' constituency)
10. Photo
11. EPIC Number
12. Name of State where elector is enrolled in Assembly Constituency (if enrolled in any assembly constituency)
13. No. of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
14. Name of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
15. No. of Part of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
16. Name of Part of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
17. Serial Number in Part where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)

Format of Electoral Rolls of Teachers' Constituency

(Note. - Roll shall be published Part wise for each teachers' constituency. Roll of each part will be published section wise. Separate inclusion, deletion and modification supplementary lists shall be published along with the mother roll till the electoral roll is integrated.)

Constituency Header

Part Header

Part No. of Electoral Roll

Part Summary

Constituency Summary

Each Part of the Electoral Roll shall be published in the following columns: -

1. Serial Number in Part
2. First Name of Elector
3. Surname of Elector
4. Name of Relation
5. Surname of Relation
6. Relation Type (Father/Mother/Husband/Other)
7. Sex
8. Date of Birth
9. Name(s) of specified educational institution(s) where engaged in teaching for three years out of last six years (names of all such educational institutions should be given in which the elector has been engaged in teaching in the last six years)
10. Photo
11. EPIC Number
12. Name of State where elector is enrolled in Assembly Constituency (if enrolled in any assembly constituency)
13. No. of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
14. Name of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
15. No. of Part of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
16. Name of Part of Assembly Constituency where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)
17. Serial Number in Part where elector is enrolled (if enrolled in any assembly constituency)

173

Annexure- 6

Detailed Instructions for Computerization of Electoral Rolls of Legislative Council

1. Separate tables to be created as specified below for each such constituency, part and electors along with the existing tables of Electoral Roll Management System.
2. The data for each such tables to be maintained in language English as well as in vernaculars of that constituency.
3. The naming convention maintained in existing control tables should be used for linking all such units. For Eg. (ST\_CODE for State Code, AC\_NO for Assembly Constituency No and PART\_NO for Part)
4. All the Parts should be maintained separately for each constituency
5. Each Part for such constituency to be linked with districts using District No.
6. For maintaining electors details separate tables to be used for Graduate's and Teacher's constituency
7. The electors details can be linked with existing electoral roll of ERMS on the basis of the following fields :
  - a. State Code
  - b. AC No
  - c. Part No
  - d. EPIC No
8. The roll for each such constituency should be printed Part wise.
9. The prescribed format of existing electoral roll can be utilized for the printing of its roll along with the details of control tables.
10. The existing roll of ERMS can be utilized to identify all such electors.

72

Database Structure of Legislative Council Electoral Rolls

Database Name: ECICONTROLTABLE

1. Table Name- TC\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
TC_NO	int	Checked
TC_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
TC_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

2. Table Name- GC\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
GC_NO	int	Checked
GC_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
GC_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

3. Table Name- TPART\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
TC_NO	int	Checked
TPART_NO	int	Checked
DIST_NO	int	Checked
TPART_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
TPART_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

171

#### 4. Table Name- GPART\_LIST

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
GC_NO	int	Checked
GPART_NO	int	Checked
DIST_NO	int	Checked
GPART_NAME_EN	nvarchar(100)	Checked
GPART_NAME_V1	nvarchar(100)	Checked

#### Database Name: EDETAILS\_TC\_GC

##### 1. Table Name- T\_ELECTORS

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
AC_NO	int	Checked
PART_NO	int	Checked
TC_NO	int	Checked
TPART_NO	int	Checked
FNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
FNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
LNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
LNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLN_TYPE	char(1)	Checked
RFNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RFNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
ADDRESS	nvarchar(300)	Checked
INSTI_NAME	nvarchar(200)	Checked
DOB	date	Checked
AGE	int	Checked
EPIC_NO	nvarchar(17)	Checked

2. Table Name- G\_ELECTORS

CCODE	bigint	Primary Key and Identity Yes
ST_CODE	char(3)	Checked
AC_NO	int	Checked
PART_NO	int	Checked
GC_NO	int	Checked
GPART_NO	int	Checked
FNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
FNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
LNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
LNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLN_TYPE	char(1)	Checked
RFNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RFNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_EN	nvarchar(50)	Checked
RLNAME_V1	nvarchar(50)	Checked
HOUSE_NO	nvarchar(20)	Checked
QUALIFICATION	nvarchar(50)	Checked
OCCUPATION	nvarchar(100)	Checked
DOB	date	Checked
AGE	int	Checked
EPIC_NO	nvarchar(17)	Checked



PREPARATION OF ELECTORAL ROLLS OF GRADUATES' CONSTITUENCIES OF ..... LEGISLATIVE COUNCIL

Notice under rule 31(3) of the Registration of Electors Rules, 1960

(1) In pursuance of rule 31(3) of the Registration of Electors Rules, 1960 each of the Electoral Registration Officers whose particulars appear in the FIRST SCHEDULE below calls upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the constituency mentioned therein to send to, or deliver at, his Office on or before the 7th November 20....( day) at the latest an application in Form 18 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule below, for inclusion of his/her name.

(2) The applications may also be sent to the Assistant Electoral Registration Officers/Designated Officers whose particulars are shown in the FIRST SCHEDULE below.

*As the electoral rolls for the Graduates' Constituencies are required to be prepared afresh every time before an election, all persons whose names are included in the existing electoral rolls for these Constituencies should also submit fresh applications in the prescribed form.*

**Qualifications-** Every person who is a citizen of India, is ordinarily resident in the constituency and has for at least 3 years before 1<sup>st</sup> November----- (i.e qualifying date) been either a Graduate of a University in the territory of India or in possession of an equivalent qualification is eligible to be included in the electoral roll. The list of the said equivalent qualifications is available with the officers mentioned in the First Schedule below. The period of three years shall be computed from the date on which the result of the qualifying degree examination was declared and published by the University or other authority concerned.

(3) The application in Form 18 (annexed at SECOND SCHEDULE) must be duly supported by any one of the following forms of documentary evidence in all cases.

- (a) The degree, diploma or certificate in original granted by the University or Institution concerned or any copy thereof duly self attested and duly authenticated by any of the Additional Designated Officers, who is of the rank of :- (a) Tehsildar; (b) Principals of the Govt. Degree Colleges/Inter Colleges; (c) Principals of the Govt. Girls Degree Colleges / Girls Inter Colleges; (d) Joint Block Development Officers of all Blocks; (e) Executive Officers (Gazetted) of Nagar Palikas/Nagar Panchayats; (f) All the Gazetted Officers of the District concerned (f) Notary Public; or
- (b) A copy of an entry in the Government record or a certificate issued to a Graduate employee by the Gazetted Head of Offices, in the prescribed format which is reproduced as THIRD SCHEDULE below, on the basis of entries in Government records in his custody or a copy of an entry in the

✓ 68<sup>m</sup>

- record of the Statutory Body, Corporation or Public Undertaking specifying the degree, diploma or certificate possessed by the claimant duly attested by the Head of the office concerned, or
- (c) An attested copy of the card of registration as registered Graduate issued by the University, a certified copy of the relevant entry in the list of registered Graduates' the Roll of Advocate, the register of Medical Practitioners, the register of Chartered Accountants, the register of Engineers maintained by Institute of Engineers etc.; or
  - (d) An affidavit by the claimant supported by a certificate from the Registrar of the University, or the Principal of a College affiliated to any University or from the Head of the Department of such College under whom he had studied.
  - (e) The mark sheet in original granted by the university or Institution concerned or any copy thereof duly self attested and duly authenticated by the Additional Designated Officer provided that there is clear indication there that claimant has passed the concerned examination
- (4) The eligible persons should apply for enrolment of their names in the prescribed Form 18 along with supported documents listed in para 3 above, as per the procedure given below:-
- a) In case where the applications are sent by post to the ERO/AERO/Designated Officer, the applicant has to enclose with his application, a copy of his degree/certificate/mark sheet duly self attested and duly authenticated by the Additional Designated Officer.
  - b) In cases where the applicant directly submits his application in person before the Designated Officer duly appointed for the purpose, he will produce the original degree/certificate/mark sheet before the Designated Officer
- (5) Any application where the above procedure is not followed will be summarily rejected by the ERO as incomplete.
- (6) Applications in bulk whether submitted in person or by post, shall not be considered for inclusion by the ERO. However, the Head of the Institutions may forward the applications of all his staff together. One member of a family may also submit the Form 18 of other members of the same family and may get the certificate verified by producing original certificates in respect of each member or submitting copies of supporting documents duly self attested by the applicant and duly authenticated by the Additional Designated Officer.
- (7) It should be noted that any person who makes a statement or declaration in the application which is false and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true will be punishable under section 31 of the Representation of People Act, 1950.
- (8) Printed applications in Form 18 may be obtained from the Offices of ERO/AERO/Designated Officers. Manuscript, typewritten, cyclostyled or privately printed forms will also be accepted

167 ✓

**FIRST SCHEDULE**

<b>Name of Constituency:</b>					
<b>Extent:</b>					
Particulars of Election Officers*	Name	Designation	Office Address	Contact Telephone numbers	Extent of Jurisdiction#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Electoral Registration Officer					
2. Assistant Electoral Registration Officer					
3. Assistant Electoral Registration Officer					
4. Assistant Electoral Registration Officer					
5. Designated Officer					
6. Designated Officer					
7. Designated Officer					
8. Designated Officer					
9. Designated Officer					
10. Designated Officer					

Signature and Seal of the Electoral Registration Officer

**Note for CEO and ERO. (not to be printed in the notice and advertisement )**

\* The number of AEROs and Designated Officers will be as per actual position in any constituency. The number indicated in the format is purely illustrative.

# The extent of jurisdiction (Col. 6) will be the whole constituency for the ERO, the whole district within a constituency for the AERO and defined area – such as sub-division or circle or block – for the Designated Officer. This needs to be spelt out clearly in the notice for every individual officer.



"Form-18  
(See Rule 31)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Claim for inclusion of name in the electoral roll for a Graduates' Constituency

SPACE FOR PASTING  
ONE RECENT UNSIGNED  
PASSPORT SIZE COLOR  
PHOTOGRAPH (4.5 CM X  
3.5 CM) SHOWING  
FRONTAL VIEW OF FULL  
FACE WITH WHITE  
BACKGROUND

To,  
The Electoral Registration Officer,  
\_\_\_\_\_(Graduates) Constituency.

Sir,

I request that my name be registered in the electoral roll for the.....(Graduates') Constituency.

1. The particulars are:-

Full Name	<input type="text"/>	Sex	<input type="text"/>
Father's/Mother's/Husband's Name (in full)	<input type="text"/>		
Qualification	<input type="text"/>		
Occupation	<input type="text"/>		
House Address (Place of ordinary residence)	<input type="text"/>		
House/Building/Apartment No.	Street/ Mohalla		
Town/Village	Post Office		
Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza	<input type="text"/>		
District	State		

Age  Years  Months Date of Birth

Disability (if any):- (Tick appropriate box) (optional Field)

☐ Visual impairment ☐ Speech & hearing disability ☐ Locomotor disability ☐ Other

Whether registered as an elector for any assembly constituency \_\_\_\_\_

If yes, then mention the following---

- (a) Number and Name of the Assembly constituency \_\_\_\_\_
- (b) Part/Polling Station No.(if known) \_\_\_\_\_
- (c) Date of Birth    /    /
- (d) EPIC Number (if any) \_\_\_\_\_

Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)

- (a) ☐ Aadhaar Number  or
- (b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number

Contact Number :-

Mobile No. (optional)

Landline

Email Id (if any) \_\_\_\_\_

2. \*I am a graduate of the.....University having passed the degree/diploma examination in the year

OR

\*I am in possession of a diploma/certificate in.....which is a qualification equivalent to that of a graduate University in India having passed the examination for the diploma/certificate in the year.....

3. In support of my claim as being a graduate/in possession of the above diploma/certificate. I submit herewith.....

4. \*\*My name has not been included in the electoral roll for this or any other graduates' constituency.

OR

\*\*My name has been included in the electoral roll for the.....graduates' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of claimant

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

\*Strike off the paragraph not applicable.

\*\*Strike off the inappropriate alternative.

.....(Perforation).....

Intimation of action taken

The application in Form 18 of Shri/Smt./Kumari.....address.....has been—

- (a) accepted and the name of Shri/Smt./Kumari.....has been registered at Serial No.....in Part No.....  
(b) rejected for the reason.....

Date \_\_\_\_\_

Electoral Registration Officer,  
(Address) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....(Perforation).....

Receipt of application

Received the application in Form 18 from Shri/ Smt./Kumari\* .....address\* ..... ..

Date \_\_\_\_\_

Electoral Registration Officer,  
(Address) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*To be filled in by the applicant

64

THIRD SCHEDULE

FORMAT

Certificate issued to a Graduate employee by the Gazetted head of office regarding his educational qualification  
Certified on the basis of entries in Government records in my custody that Shri/Kumari/ Smt.  
\_\_\_\_\_ (here give name in full) son/daughter/wife of  
\_\_\_\_\_ who is employed in this office  
as \_\_\_\_\_ has passed \_\_\_\_\_ (Here mention the particulars of the  
degree/diploma examination) from \_\_\_\_\_  
(Here mention the name of the University / Board) in the year \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

(Signature of Head of Office)

Date : \_\_\_\_\_

(To be signed by a Gazetted Officer.)

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****Revision of Electoral Rolls for Graduates' Constituencies of ..... Legislative  
Council****Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960**

In pursuance of rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960, each of the Electoral Registration Officers of (1) ..... (2) ..... Graduates' Constituencies vide his notice dated 1<sup>st</sup> October 20--, called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant Graduates' constituency mentioned above, to send to, or deliver at, his office on or before ..... (i.e the last date of receipt of applications) application in Form 18 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice published in the edition dated 1<sup>st</sup> October, 2015 of (1) ..... and (2) ..... News papers.

All the above mentioned persons may submit their applications in Form 18 on or before before ..... (i.e the last date of receipt of applications), if not already done.

The said details are also available in the official website of the Chief Electoral Officer, Maharashtra at [www.....](http://www.....)

163

ANNEXURE -B

PREPARATION OF ELECTORAL ROLLS OF TEACHERS' CONSTITUENCIES OF ..... LEGISLATIVE COUNCIL

Notice under rule 31(3) of the Registration of Electors Rules, 1960

In pursuance of rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960 each of the Electoral Registration Officers whose particulars appear in the FIRST SCHEDULE below hereby calls upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the constituency mentioned in the said Schedule to send to or deliver at his Office, on or before 7th November, 20... at the latest, an application in Form 19 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the Second Schedule below, for inclusion of his/her name.

2. The applications may also be sent to the Assistant Electoral Registration Officers / Designated Officers whose particulars are shown in the FIRST SCHEDULE

*As the electoral rolls for the Teachers' Constituencies are required to be prepared afresh every time before an election, all persons whose names are included in the existing electoral rolls for these Constituencies should also submit fresh applications in the prescribed form.*

3. Qualifications: - Every person who is a citizen of India, and is ordinarily resident in the constituency and has, within the six years immediately before 1st November, 20..., been engaged for a total period of at least three years in teaching in any of the educational institutions, within the State specified to be not lower in standard than that of a Secondary School is eligible to be included in the electoral roll. The list of Educational Institutions so specified is available with the officers mentioned in the First Schedule.

4. Every application in Form 19 by a person seeking enrolment in Teachers' Constituency shall be accompanied by a certificate from the Head of the Educational Institution certifying the engagement of the person concerned as a teacher for a total period of three years within the last preceding six years. The format for the certificate will be as follows:-



157

2

**'CERTIFICATE'**

"This is to certify that Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ has been teaching in \_\_\_\_\_  
(name of the institution) for a total period of three years within the last preceding six years against a sanctioned  
post on regular / ad-hoc \*\* basis.

2. (a) \*\*As per the records of the Institution, He / She has been engaged in this institution continuously from  
\_\_\_\_\_(date) to \_\_\_\_\_(date).

OR

(b) \*\*As per the records of the Institution, He/She has been engaged in this institution for the following  
periods of service: -

From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

From \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

.....  
(\*\* Strike out whichever is not applicable)

.....  
(Signature, Name & Seal of the Head of Institution)

6. In the case of a person who is not engaged in teaching on the date of application, the Certificate should  
be signed by the Head of the Institution, in which he last served.

7. Applications in bulk whether submitted in person or by post, shall not be considered for inclusion by the  
ERO. However, the Head of the Institutions may forward the applications of all his staff together. One member of a  
family may also submit the Form 19 of other members of the same family and may get the certificate verified by  
producing original certificates in respect of each member.

8. It should be noted that any person who makes a Statement or declaration in the application which is false  
and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true will be punishable under Section  
31 of the Representation of People Act, 1950.

9. Printed applications of Form 19 may be obtained from the Offices of ERO/AERO/Designated Officers or  
Manuscript, typewritten, cyclostyled or privately printed forms will also be accepted.

(Here print the First and Second schedules)

160

# FIRST SCHEDULE

Name of Constituency:					
Extent:					
Particulars of Election Officers*	Name	Designation	Office Address	Contact Telephone numbers	Extent of Jurisdiction#
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Electoral Registration Officer					
2. Assistant Electoral Registration Officer					
3. Assistant Electoral Registration Officer					
4. Assistant Electoral Registration Officer					
5. Designated Officer					
6. Designated Officer					
7. Designated Officer					
8. Designated Officer					
9. Designated Officer					
10. Designated Officer					

Signature and Seal of the Electoral Registration Officer

Note for CEO and ERO. ( not to be printed in the notice and advertisement )

\* The number of AEROs and Designated Officers will be as per actual position in any constituency. The number indicated in the format is purely illustrative.

# The extent of jurisdiction (Col. 6) will be the whole constituency for the ERO, the whole district within a constituency for the AERO and defined area – such as sub-division or circle or block – for the Designated Officer. This needs to be spelt out clearly in the notice for every individual officer.



Form-19  
(See Rule 31)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Claim for inclusion of name in the electoral roll for a Teachers' Constituency

SPACE FOR PASTING ONE  
RECENT UNSIGNED  
PASSPORT SIZE COLOR  
PHOTOGRAPH (4.5 CM X  
3.5 CM) SHOWING  
FRONTAL VIEW OF FULL  
FACE WITH WHITE  
BACKGROUND

To,  
The Electoral Registration Officer,  
\_\_\_\_\_ (Teachers') Constituency.

Sir,

I request that my name be registered in the electoral roll for the.....(Teachers') Constituency.

The particulars are:-

Full Name \_\_\_\_\_ Sex \_\_\_\_\_

Father's/Mother's/Husband's Name (in full) \_\_\_\_\_

House Address (Place of ordinary residence)

House/Building/Apartment No.	Street/ Mohalla
Town/Village	Post Office
Police Station/Tehsil/Taluqa/Mouza	
District	State

Age ☐ Years ☐ Months Date of Birth 

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Disability (if any):- (Tick appropriate box) (optional Field)

☐ Visual impairment ☐ Speech & hearing disability ☐ Locomotor disability ☐ Other

Whether registered as an elector for any assembly constituency \_\_\_\_\_

If yes, then mention the following---

- (a) Number and Name of the Assembly constituency \_\_\_\_\_
- (b) Part/Polling Station No.(if known) \_\_\_\_\_
- (c) Date of Birth 

d	d	/	m	m	/	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- (d) EPIC Number (if any) \_\_\_\_\_

Aadhaar Details:- (Please tick the appropriate box)

(a) ☐ Aadhaar Number \_\_\_\_\_ or

(b) ☐ I am not able to furnish my Aadhaar Number because I don't have Aadhaar Number

Contact Number :-

Mobile No. (optional) \_\_\_\_\_

Landline \_\_\_\_\_

Email Id (if any) \_\_\_\_\_

2. During the last six years, I have been engaged in teaching for a total period of more than three years as follows-

Name of Educational Institution	From (Date)	To (Date)	Period
1.			
2.			
3.			
4.			

In support of the above, I submit herewith \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. \*My name has not been included in the electoral roll for this or any other teachers' constituency.

OR

\*My name has been included in the electoral roll for the.....teachers' constituency under the address given below and I request that it be deleted from that roll :-

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of claimant

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950.

\*Strike off the paragraph not applicable.

.....(Perforation).....

Intimation of action taken

The application in Form 19 of Shri/Smt./Kumari.....address

..... has been-

(a) accepted and the name of Shri/Smt./Kumari.....has been registered at Serial No.....in Part No.....

(b) rejected for the reason.....

Date \_\_\_\_\_

Electoral Registration Officer,  
(Address) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....(Perforation).....

Receipt of application

Received the application in Form 19 from Shri/  
Shrimati/Kumari\*.....address\*.....

Date \_\_\_\_\_

Electoral Registration Officer,  
(Address) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*To be filled in by the applicant

158

Annexure-B-1

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**Preparation of Electoral Rolls for -----Teachers' Constituency of -----**  
**Legislative Council**

**Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960**

In pursuance of rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960, the Electoral Registration Officers 1) ..... (2) ..... (3)..... Teachers' Constituencies vide their notice dated 1<sup>st</sup> October 20---, called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant constituency mentioned above , to send to, or deliver at, his Office, on or before --- (i.e the last date of receipt of applications ), an application in Form 19 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice published in the edition dated 1<sup>st</sup> October 2015 of (1)..... and (2) ..... News papers.

All the above mentioned persons may submit their applications in Form 19 on or before ----- (i.e the last date of receipt of applications ), if not already done.

The said details are also available in the official website of the Chief Electoral Officer, Maharashtra at [www. ....](http://www. ....)

[illegible]

\_\_\_\_\_,  
Signature of Chief Electoral Officer